क्रम-संख्या–262

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2015

भाद्रपद 20, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

संख्या 709/सत्तर-1–2015-16(29)-2011

लखनऊ, 11 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

प०आ०–568

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्यपाल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रथम परिनियमावली, 2015 निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974) द्वारा यथा संशोधित एवं पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियन संख्या 10, सन् 1973) की धारा–50 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियमावली बनाते हैं :–

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली, 2015

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1.01–(1) यह परिनियमावली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ प्रथम परिनियमावली" 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

1.02– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से है, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित है और समय–समय पर यथा संशोधित है;

(ख) 'खण्ड' का तात्पर्य परिनियम के उस खण्ड से है जिसमें उक्त पद आया हो;

(ग) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(घ) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(ङ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय से है, और

(च) अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु इस परिनियमावली में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

धारा 49 तथा 50 — 1.03–इस परिनियमावली में किसी अध्यापक की आयु के संबंध में सभी निर्देश सम्बद्ध अध्यापक के जन्म दिनांक के प्रति, जो उनके हाई स्कूल प्रमाण–पत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा प्रमाण–पत्र में उल्लिखित हो, निर्देश समझे जायेंगे।

अध्याय–2

विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कृत्यकारी

क– कुलाधिपति

धारा 10(4) तथा 49 (ग) — 2.01–(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 68 के अधीन निर्दिष्ट किये जाये, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं।

(2) जहां कुलाधिपति खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांगें, वहां कुल सचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि ऐसे दस्तावेज या सूचना तुरन्त उन्हें भेज दी जाये।

(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जान–बूझकर अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच के पश्चात, जिसे वह उचित समझे कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकते हैं।

(4) कुलाधिपति को खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको अनुध्यात करते हुए, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

ख–कुलपति

धारा 13(3) और 49(ग) — 2.02–कुलपति को किसी सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापक की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के संबंध में जिस दस्तावेज या सूचना को, जिन्हें वह उचित समझे, मांगने की शक्ति होगी।

ग–वित्त अधिकारी

धारा 9(ङ) — 2.03– जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम निर्दिष्ट किसी एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति निर्दिष्ट करें।

वित्त अधिकारी के कर्तव्य

2.04–वित्त अधिकारी– धारा 15(7) और 49(ग)

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा,

(ख) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर दे सकता है।

(ग) नकद या बैंक बैलेंस की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत निगरानी रखेगा;

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेखे रखेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और विश्वविद्यालय के उपस्कर तथा उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जांच की जाती है,

(च) किसी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे, मंगा सकेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक संपरीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा और उन बिलों की पूर्व संपरीक्षा करेगा जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो;

(झ) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

(ञ) अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षा तथा लेखा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा) से निम्न श्रेणी के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उप/सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

2.05–(1) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और दोनों अधिकारियों पर बाध्यकारी होगा। धारा 13(9) 15(7) तथा 49(ग)

घ–कुलसचिव

2.06 (1) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा, जो निम्नलिखित न हों, अर्थात् :– धारा 13(9) 16(4)21(i)(vii) 21(8) और 49(ग) तथा (ड)

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण,

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले किसी पद पर विद्यमान हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अन्तरीक्षक हों;

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष,

(घ) अधिनियम की धारा–17 में निर्दिष्ट अन्य कर्मचारीगण।

(2) खण्ड (1) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पंक्तिच्युत करने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और इसमें ऐसे कर्मचारी को, जांच विचाराधीन होने या अभिप्रेत होने पर निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसी जांच न कर ली जाये, जिसमें उसे अपने विरूद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर कोई शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव हो, वहां जब तक उसे प्रस्तावित शास्ति की बाबत अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये, किन्तु उक्त अभ्यावेदन ऐसी जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के ही आधार पर हो सकेगा :

परन्तु, यह कि आदेश का आधार कोई आरोप होते हुए भी (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है) यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था, यह खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, :-

(क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसकी मूल पंक्ति में प्रत्यावर्तित करने का आदेश,

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश,

(ग) किसी कर्मचारी को उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने का आदेश,

(घ) निलम्बन का आदेश।

धारा 21 तथा 49 — 2.07-परिनियम 2.06 में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर परिनियम 8.10 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुलसचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 16 — 2.08-अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कुलसचिव का निम्नलिखित दायित्व होगा :-

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;

(ख) धारा-16 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनाएं जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) सभा, कार्य परिषद तथा विद्या परिषद् के अधिकृत पत्र-व्यवहार करना और करार करना;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका वह सचिव हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचनों का सत्यापन करना।

ङ–संकायों के संकायाध्यक्ष

2.09–(1) यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो अथवा यदि किसी संकाय में कोई आचार्य उपलब्ध न हो, वहां संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन कुलपति, प्रतिकुलपति या ऐसे आचार्य द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करें। धारा 27(4) और 49(ख)

(2) कोई व्यक्ति, उस पद पर न रह जाने पर, जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

2.10–(1) कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को – धारा 27(4) 64(2)

(क) तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझा जायगा कि वह अपनी बारी पूरा कर चुका है और इन परिनियमों के प्रारम्भ में ज्येष्ठता–कम में पात्र अगला अध्यापक संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा;

(ख) संकायाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष पूरे न किये हो, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष के पद पर बना रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर, ज्येष्ठता–कम में पात्र अगला अध्यापक संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(2) ऐसी अवधि में, जिसमें किसी अध्यापक ने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, गणना करने के प्रयोजनार्थ –

(क) किसी अवधि को, जिसमें ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण करने या उस पर बने रहने से निषिद्ध किया गया था, निकाल दिया जायेगा,

(ख) ऐसी अवधि, जिसमें किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संकायाध्यक्ष का पद धारण करने की अनुमति दी गयी हो, की गणना संकायाध्यक्ष की पदावधि के प्रयोजनार्थ उसकी बारी अगली बार आने पर की जायेगी, यदि अन्त में यह पाया जाय कि उस अवधि में उस पद को धारण करने का विधिक हक उसे नहीं था।

2.11–संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तियाँ होंगी:– धारा 18 तथा 49 (ग)

(एक) वह संकाय–बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं;

(दो) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(तीन) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा तथा अनुरक्षण के लिये आवश्यक उपाय करेगा;

(चार) उसे अपने संकाय से संबंधित अध्ययन बोर्डों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा;

च–छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष

2.12–छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम पन्द्रह वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव हो और जो आचार्य से निम्न पंक्ति के न हों, कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जायेगी। धारा 18, 21(1) (xvii) 49(ग)

2.13–छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के साथ–साथ संकायाध्यक्ष के कर्त्तव्यों का भी पालन करेगा। धारा 49

2.14–छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि और तीन वर्ष के लिये होगी, जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाये : धारा 49

परन्तु यह कि इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को संकायाध्यक्ष का पद धारण करने वाला छात्र–कल्याण का संकायध्यक्ष परिनियम 2.12 के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

2.15–(1) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता अध्यापकों का (जिनका चयन अध्यादेशों में निर्धारित रीति से किया जायेगा) एक समूह करेगा, जो अध्यापकों के रूप में अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त कर्त्तव्यों का पालन करेंगें। इस प्रकार चुने गये अध्यापक छात्र-कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष कहलायेंगे।

(2) छात्र-कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों में से एक सहायक संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय की महिला अध्यापकों में से नियुक्त की जायेगी जो छात्राओं के कल्याण की देखभाल करेंगी।

2.16–(1) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्षों तथा छात्र-कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे छात्रों की ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता तथा मार्ग-दर्शन अपेक्षित है, सामान्यतया सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतया, छात्रों तथा भावी छात्रों को,

(एक) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने,

(दो) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरूचि का चुनाव करने,

(तीन) निवास-स्थान ढूंढने,

(चार) भोजन-व्यवस्था करने,

(पांच) चिकित्सीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने,

(छः) छात्रवृत्तियां, वृत्ति, अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने,

(सात) अवकाश तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिए यात्रा-सुविधायें प्राप्त करने,

(आठ) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने,

(नौ) विश्वविद्यालय परम्परायें अक्षुण्ण रहें, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या अध्ययन करने में, उचित रूप से संचालित होने में सहायता करें और सलाह दें।

(2) छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के संबंध में, जिसमें उसकी सहायता अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

2.17–छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जायें।

2.18–कुलपति किसी छात्र के विरूद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने से पूर्व छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

2.19–छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति, राज्य सरकार के अनुमोदन से नियत करें।

छ–विभागाध्यक्ष

धारा–27(6) 2.20–(1) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा, यथासम्भव, चक्रानुक्रम के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसी नियुक्ति की सूचना कार्य परिषद् को दी जायेगी।

(2) खण्ड(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ज्येष्ठ अध्यापक जो विद्यमान चक्रानुक्रम के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा कर चुके हों या उसी हैसियत से कार्यरत कनिष्ठ अध्यापकों से ज्येष्ठ हों और उसे कतिपय कारणों से विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सका, तो यह पर दायित्व होगा कि जब कभी विभागाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वह ज्येष्ठ अध्यापक को संबंधित विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करें, परन्तु यह कि वह इस रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र हो;

(3) विभागाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। सामान्यतः एक ही व्यक्ति लगातार दो कार्यकाल के लिए विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(4) खण्ड (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विभागाध्यक्ष की नियुक्ति लम्बित रहने की दशा में या छुट्टी के कारण अनुपस्थिति की दशा में, कुलपति विद्यमान स्थिति का निर्धारण करने के पश्चात् संबंधित विभाग के किसी आचार्य या किसी सह आचार्य को पूर्णतः तदर्थ आधार पर, यथास्थिति, विभागाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य का सम्पादन करने के लिए निदेशित कर सकता है।

(5) प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अनन्य रूप से संबंधित विभाग का आचार्य होगा। यदि किसी विभाग में मात्र एक ही आचार्य हो या किसी आचार्य के पास विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने की पात्रता न हो, तो सह आचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और यदि किसी विभाग में कोई आचार्य या सह आचार्य विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं हो तो संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

(6) ऐसे विभागाध्यक्षों को जिन्होंने तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो, तत्काल बदल दिया जायेगा और जिन्होंने तीन वर्ष का अपना कार्यकाल अभी पूरा न किया हो उन्हें शेष कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् हटाया जायेगा।

(7) किसी विभाग का अध्यक्ष अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस रूप में पदधारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

ज–पुस्तकालयाध्यक्ष

2.21– (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष की सहायता राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पदों के सापेक्ष उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा की जा सकती है।

(3) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए चयन समिति वैसी ही होगी जैसी क्रमशः आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के पदों के लिए है, परन्तु पुस्तकालय से सम्बन्धित विशेषज्ञ, किसी कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष को एक विषय विशेषज्ञ के रूप में चयन समिति के साथ सहयुक्त किया जायेगा।

2.22– पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की न्यूनतम अर्हता ऐसी होगी जैसी परिनियम 11.13.05 में उपबंधित है।

झ–प्राक्टर

2.23– प्राक्टर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर, कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किया जायगा। प्राक्टर कुलपति को विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासनिक अधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा और अनुशासन के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त सौंपे जायें। धारा 18 तथा 49 (ग)

2.24– प्राक्टर की सहायता के लिये उप/सहायक प्राक्टर होंगे जिनकी संख्या कार्य परिषद् द्वारा समय–समय पर निश्चित की जायगी। धारा 49 (ग)

2.25– उप/सहायक प्राक्टर की नियुक्ति कुलपति द्वारा प्राक्टर के परामर्श से की जायेगी। धारा 49 (ग)

2.26–प्राक्टर, उप प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टर एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे : धारा 49(ग) तथा 49 (ड)

परन्तु यह कि जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, प्रत्येक प्राक्टर/उप प्राक्टर अथवा सहायक प्राक्टर पद पर बना रहेगा।

परन्तु यह और कि कार्य परिषद कुलपति की सिफारिश पर प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती है।

परन्तु यह भी कि कुलपति उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी उप/सहायक प्राक्टर को हटा सकते हैं।

2.27– प्राक्टर, उप प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टरों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति राज्य सरकार के अनुमोदन से, निश्चित करें। धारा 49 (ग) धारा 49 (ड)

अध्याय 3

कार्य–परिषद

धारा 20(1)(ग) 3.01–संकायों के दो संकायाध्यक्ष, जो धारा 20 की उपधारा 1(ग) के अधीन कार्य–परिषद् के सदस्य होंगे, संकायाध्यक्षों की ज्येष्ठता के क्रम में चुने जायेंगे।

धारा 20(1)(ङ) 3.02–धारा 20 के खण्ड 1(ङ) के अधीन विश्वविद्यालय के आचार्यों, सह आचार्यों तथा सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित प्रकार से होगा :

(क) दो आचार्य, जिनका चयन ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा,

(ख) दो सह आचार्य, जिनका चयन ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा,

(ग) दो सहायक आचार्य, जिनका चयन ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

धारा 20(1) (ढ) 3.03–सम्बद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जो धारा 20(1)(ङ) के खण्ड(ii) के अधीन कार्य–परिषद् का सदस्य होगा, का चयन ऐसे प्राचार्य के रूप में ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

धारा 20(1) (च) 3.04–धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्र–निवास या छात्रावास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य परिषद् के सदस्य नहीं रह जायेंगे।

धारा 49 (क) तथा (ख) 3.05–कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य–परिषद् का न तो सदस्य होगा और न सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य हो जाय, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे तो, यह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान को उपर्युक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के दिनांक से रिक्त कर दिया है, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था।

धारा 21(8) 3.06– कार्य–परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ जिन्हें ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

धारा 20 तथा 49(ख) 3.07– कार्य–परिषद् के अधिवेशन कुलपति के निदेश से बुलाये जायेंगे।

धारा 20 तथा 49(ख) 3.08– कार्य–परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें वित्तीय प्रावधान अन्तर्ग्रस्त हो, विचार करने से पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

अध्याय 4

सभा

अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

धारा 22(1)(viii) 4.01–विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों तथा संस्थानों के छात्रावासों तथा छात्रनिवासों के दो प्रोवोस्ट तथा वार्डन, जो धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड(viii) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, का चयन प्रोवोस्ट तथा वार्डन के रूप में उनकी ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

धारा 22 (1)(ix) 4.02–(1) ऐसे पन्द्रह अध्यापक, जो धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :

(क) विश्वविद्यालय के दो आचार्य,

(ख) विश्वविद्यालय के तीन सह–आचार्य,

(ग) विश्वविद्यालय के चार सहायक आचार्य,

(घ) छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष,

(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य,

(च) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन अन्य अध्यापक,

(2) उपर्युक्त आचार्यों, सह–आचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थिति, आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य, प्राचार्य अथवा अन्य अध्यापक के रूप में उनकी ज्येष्ठता–क्रम में किया जायेगा।

4.03–सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र के दो प्रतिनिधि, जो धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (x) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, का नामांकन उनकी सम्बद्धता के दिनांक से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् चक्रानुक्रम जारी रहेगा। धारा 22(1) (x) तथा 64

स्नातकों का पंजीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

4.04–कुलसचिव अपने कार्यालय में पंजीकृत स्नातकों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिस्टर कहा गया है।

4.05–रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे :– धारा 16(4) तथा धारा 49(थ)

(क) पंजीकृत स्नातकों का नाम तथा पता;

(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष;

(ग) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहां से वे स्नातक हुये;

(घ) रजिस्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनांक;

(ङ.) ऐसे अन्य ब्योरे, जिनके बारे में कार्य–परिषद् समय समय पर निर्देश दे।

टिप्पणी–ऐसे पंजीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे जिनकी मृत्यु हो गयी हो।

4.06–विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन पत्र देने पर और इक्यावन रूपया की फीस देने पर रजिस्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनांक से पंजीकृत कराने का हकदार होगा जिसमें वह उपाधि प्रदान की गयी थी व उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गयी होती जिसके आधार पर उसका नाम पंजीकृत करना है। आवेदन पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायेगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक आवेदन पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा। धारा 49(थ)

4.07–आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि यह ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिस्टर पर दर्ज करेगा। धारा 49(थ)

4.08–कोई पंजीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून, को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर में लिखा हो, पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा। धारा 49(थ)

4.09–कोई पंजीकृत स्नातक धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिए पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज रहा हो : धारा 22(1) (xi) तथा धारा 49(थ)

परन्तु यह कि तीन वर्ष का प्रतिबन्ध सभा के पंजीकृत स्नातकों के प्रथम निर्वाचन के संबंध में लागू नहीं होगा।

4.10–धारा 21 की उपधारा(1) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित पंजीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रावास, छात्र–निवास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्र–निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायेगा, और इस प्रकार रिक्त हुये स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुये हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जायेगा। धारा 22(1) (xi) तथा धारा 49(थ)

धारा 22(1) (xi) (xii) 4.11–कोई पंजीकृत स्नातक, जो पहले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर परिनियम 3.04 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

धारा 22(1) (xi) 4.12–इस अध्याय के अधीन पंजीकृत स्नातकों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

धारा 22(2) तथा 49(ख) 4.13–सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

अध्याय–5

विद्या परिषद्

धारा 25(2)(vi) 5.01–राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित प्रत्येक घटक महाविद्यालय से दो आचार्य जो धारा 25(2) के खण्ड (Vi) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन उस महाविद्यालय के आचार्य के रूप में उनकी ज्येष्ठता–क्रम में किया जायेगा।

धारा 25(2)(vii) तथा 49(ख) 5.02–विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य जो धारा 25(2) के खण्ड (Vii) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य के रूप में उनकी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

धारा 25(2)(viii) 25(3) घ तथा 49(ख) 5.03–पन्द्रह अध्यापक जो धारा– 25(2) के खण्ड (viii) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे उनका चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :–

(क) ज्येष्ठता–क्रम से चक्रानुक्रम में विश्वविद्यालय के चार सह–आचार्य।

(ख) ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार सहायक आचार्य।

(ग) ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध महाविद्यालयों के सात अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)

टिप्पणी–(1) एक संकाय के एक से अधिक सह–आचार्य एक से अधिक सहायक आचार्य, और एक ही सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे।

टिप्पणी–(2) यदि एक संकाय के एक से अधिक सह–आचार्य एक से अधिक सहायक आचार्य तथा एक ही सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होने के हकदार हों तो, यथास्थिति ज्येष्ठतम सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य और दो ज्येष्ठतम अध्यापक विद्या परिषद् के सदस्य होंगे। वे सह–आचार्य और सहायक आचार्य तथा अध्यापक जो इस प्रकार रह जायेंगे उनकी बारी चक्रानुक्रम से अगली बार आयेगी।

धारा 25(2) तथा 49(ख) 5.04–शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पांच व्यक्ति, जो धारा 25 के उपधारा (2) के खण्ड (Xi) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे उनका सहयोजन खण्ड (i) से (X) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जो विश्वविद्यालय, घटक महाविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्र–निवास या छात्रावास के कर्मचारी न हों।

धारा 25(2) तथा 49(ख) 5.05–धारा 25(2) के खण्ड (vi), (vii), (viii) और (ix) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिये पद धारण करेंगे।

धारा 25(1)(ग) 5.06–अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :

(एक) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक्रम विषयक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जा सकेगा।

(दो) सभा अथवा कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना;

(तीन) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता देने और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा तथा उपाधियों या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टर मीडिएट परीक्षा के प्रति उनकी समकक्षता के विषय में कार्य परिषद को सलाह देना;

(चार) विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के संबंध में कार्य परिषद को सलाह देना; और

(पांच) शिक्षा संबंधी विषयों के संबंध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों को उचित रूप में कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

5.07– विद्या परिषद का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाया जायेगा।

अध्याय 6

वित्त समिति

6.01– धारा 26 की उपधारा(1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु यह कि वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा; धारा 49(ख)

6.02–व्यय की ऐसी मदें, जो पहले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों, निम्नलिखित मामलों में वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी :– धारा 26(3) तथा 49(क)

(एक) अनावर्ती व्यय की दशा में, यदि इसमें दस हजार रूपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, और

(दो) आवर्ती व्यय की दशा में, यदि इसमें तीन हजार रूपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को, जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक मांगों में विभाजित की गयी हो, छोटी–छोटी धनराशियों की बहुत सी मदें मानकर कार्य करें और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत न करें।

6.03–वित्त समिति ऐसे दिनांक को या उससे पूर्व, जिसकी अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाये, परिनियम 6.02 अथवा परिनियम 6.04 के अधीन उसको निर्दिष्ट की गयी व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देगी और कार्य परिषद को सूचित करेगी। धारा 26(3) तथा 49(क)

6.04–यदि कार्य परिषद वार्षिक वित्तीय अनुदान (अर्थात बजट) पर विचार करने के पश्चात किसी समय उसमें ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम 6.02 में निर्दिष्ट आवर्ती या अनावर्ती धनराशि का व्यय अर्न्तग्रस्त हो तो कार्य परिषद वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी। धारा 26(3) तथा 49(क)

6.05–वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचार के लिये रखा जायेगा और तत्पश्चात् कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। धारा 26(1) तथा 49(क)

6.06–वित्त समिति के किसी सदस्य को विसम्मति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो। धारा 26(3) तथा 49(क)

6.07–लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति की प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी। धारा 26(4) तथा 49(क)

6.08–वित्त समिति की बैठक कुलपति के निर्देश पर बुलायी जायेंगी और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसी बैठकों को बुलाने के लिये सभी नोटिसें जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखा जायेगा। धारा 15(7) तथा 49(ग)

अध्याय 7

संकाय

धारा 27(1) 7.01– विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात:–

(क) कला संकाय तथा मानविकी संकाय

(ख) सामाजिक विज्ञान संकाय

(ग) वाणिज्य संकाय

(घ) विज्ञान संकाय

(ड.) कोई अन्य संकाय जिसे कार्य परिषद, विद्या परिषद की सिफारिश पर और अधिनियम के आलोक में भविष्य में खोलने/स्थापित करने के लिए प्रस्तावित करे।

क–कला तथा मानविकी संकाय

धारा 27(3) 7.02–कला संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा:

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के सभी विभागाध्यक्ष तथा आचार्य।

(तीन) संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग से प्रति वर्ष ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से, एक सह–आचार्य तथा एक सहायक आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो।

(चार) सम्बद्ध महाविद्यालयों के ऐसे आचार्य जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों।

(पांच) संकाय में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से भिन्न ज्येष्ठता क्रम में तीन अध्यापक, एक वर्ष की अवधि के लिये :

परन्तु यह कि एक ही विषय का अध्यापन कराने वाले दो अध्यापक एक ही महाविद्यालय के नहीं होंगे, यदि एक ही विषय के अध्यापन के लिये एक से अधिक महाविद्यालय को सम्बद्धता प्राप्त हो तो इस प्रकार छोड़ दिये गये अध्यापक की चक्रानुक्रम से, अगली बार बारी होगी।

(छ.) जिस संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिये अथवा स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा के भाग–1 अथवा भाग–2 के लिए स्वतंत्र पाठ्यक्रम विहित हो, उस संकाय में पढ़ाये जाने वाले पाठ्य विषय की प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठतम अध्यापक, जब तक कि वह शाखा किसी अन्य प्रमुख के अधीन किसी सदस्य द्वारा न पढ़ायी जाती हो।

(सात) पांच से अनधिक संख्या में शैक्षणिक ख्याति के ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, अथवा छात्र निवास या छात्रावास की सेवा में न हों, को संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्यापरिषद में सहयोजित किया जा सकता है।

धारा 27(2) 7.03– कला तथा मानविकी संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे।

(1) उर्दू विभाग

(2) अरबी विभाग

(3) फारसी विभाग

(4) हिन्दी विभाग

(5) अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय एवं एशियाई भाषा विभाग

(6) कोई अन्य विभाग जिसे कार्य परिषद, विद्या परिषद की सिफारिश पर और अधिनियम के आलोक में खोलने/स्थापित करने के लिए प्रस्तावित करे।

(ख) सामाजिक विज्ञान संकाय

7.04– सामाजिक विज्ञान संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा : धारा 27(3)

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के सभी विभागाध्यक्ष तथा आचार्य।

(तीन) संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग से प्रति वर्ष ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से एक सह आचार्य तथा एक सहायक आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो।

(चार) सम्बद्ध महाविद्यालयों के ऐसे प्राचार्य जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों।

(पांच) संकाय में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से भिन्न ज्येष्ठता क्रम में तीन अध्यापक, एक वर्ष की अवधि के लिये :

परन्तु यह कि एक ही विषय को अध्यापन कराने वाले दो अध्यापक एक ही महाविद्यालय के नहीं होंगे, यदि एक ही विषय के अध्यापन के लिये एक से अधिक महाविद्यालय को सम्बद्धता प्राप्त हो। इस छोड़ दिये गये अध्यापक की चक्रानुक्रम से, अगली बार बारी होगी।

(छः) जिस संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिये अथवा स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा के भाग 1 अथवा भाग 2 के लिए स्वतंत्र पाठ्यक्रम विहित हो, उस संकाय में पढ़ाये जाने वाले पाठ्य विषय की प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठतम अध्यापक, जब तक कि वह शाखा किसी अन्य प्रमुख के अधीन किसी अन्य सदस्य द्वारा न पढ़ायी जाती हो।

(सात) पांच से अनधिक संख्या में शैक्षणिक ख्याति के ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, अथवा छात्र निवास या छात्रावास की सेवा में न हों, को संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्यापरिषद में सहयोजित किया जा सकता है।

7.05– सामाजिक विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :– धारा 27(2)

(1) अर्थशास्त्र विभाग

(2) राजनीति शास्त्र विभाग

(3) इतिहास विभाग

(4) शिक्षा शास्त्र विभाग

(5) भूगोल विभाग

(6) पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

(7) शारीरिक शिक्षा विभाग

(8) कोई अन्य विभाग जिसे कार्य परिषद् विद्या परिषद् की सिफारिश पर और अधिनियम के आलोक में खोलने/स्थापित करने के लिए प्रस्तावित करे।

ग–वाणिज्य संकाय

7.06– वाणिज्य संकाय बोर्ड को निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा :– धारा 27(3)

(एक) वाणिज्य संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त विभागाध्यक्ष तथा आचार्य।

(तीन) संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग के, प्रति वर्ष, ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से दो सह–आचार्य तथा एक सहायक आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों।

(चार) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो संकाय को सौंपे गये विषय का अध्यापक हो, ज्येष्ठतम में, चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिये।

(पांच) सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो अन्य अध्यापक जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों, ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिये।

(छः) विश्वविद्यालय के, उन विषयों के, जो वाणिज्य संकाय को सौंपे न गये हों, परन्तु जिनका विद्या परिषद की राय में इस प्रकार सौंपे गये विषयों से महत्वपूर्ण संबंध हो, दो से अनधिक अध्यापक जो विद्या परिषद द्वारा संकाय में निर्दिष्ट किये जाये।

(सात) पांच से अनधिक संख्या में शैक्षणिक ख्याति के ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, घटक महाविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास की सेवा में न हों, को संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्या परिषद में सहयोजित किया जा सकता है।

7.07– वाणिज्य संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :–

(1) वाणिज्य विभाग

(2) व्यवसाय प्रशासन विभाग

(3) कोई अन्य विभाग जिसे कार्य परिषद, विद्या परिषद की सिफारिश पर और अधिनियम के आलोक में खोलने/स्थापित करने के लिए प्रस्तावित करे।

(घ)–विज्ञान संकाय

धारा 27(3) 7.08– विज्ञान संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा :

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त विभागाध्यक्ष।

(तीन) संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग से प्रति वर्ष ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक सह–आचार्य तथा एक सहायक आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो।

(चार) सम्बद्ध महाविद्यालयों के ऐसे प्राचार्य जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों।

(पांच) संकाय में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से भिन्न ज्येष्ठताक्रम में, तीन अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिये:

परन्तु यह कि एक ही विषय का अध्यापन कराने वाले दो अध्यापक एक ही महाविद्यालय के नहीं होंगे, यदि एक ही विषय के अध्यापन के लिये एक से अधिक महाविद्यालय को सम्बद्धता प्राप्त हो। इस प्रकार छोड़ दिये गये अध्यापकों की बारी, चक्रानुक्रम से, अगली बार होगी।

(छः) जिस संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिये अथवा स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा के भाग 1 अथवा भाग 2 के लिए स्वतंत्र पाठ्यक्रम विहित हो, उस संकाय में पढ़ाये जाने वाले पाठ्य विषय की प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठतम अध्यापक, जब तक कि वह शाखा किसी अन्य प्रमुख के अधीन किसी अन्य सदस्य द्वारा न पढ़ायी जाती हो।

(सात) पांच से अनधिक संख्या में शैक्षणिक ख्याति के ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, घटक महाविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास की सेवा में न हों, को संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्या परिषद में सहयोजित किया जा सकता है।

धारा 27(2) 7.09–विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :–

(1) कम्प्यूटर विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी

(2) गृह विज्ञान विभाग

(3) कोई अन्य विभाग जिसे कार्य परिषद विद्या परिषद की सिफारिश पर और अधिनियम के आलोक में खोलने/स्थापित करने के लिए प्रस्तावित करे।

उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं की प्रोन्नति

7.10 उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं की प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :–

(क) उर्दू, अरबी या फारसी भाषाओं में से एक भाषा का पूर्व–स्नातक स्तर पर प्रारम्भिक स्तरीय अध्ययन अनिवार्य किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनिवार्य विषय में उत्तीर्ण होने हेतु छात्रों के लिए उत्तीर्णांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किन्तु इन अंकों की गणना परिणाम में अंकों के प्रतिशत में नहीं की जायेगी।

अध्याय 8

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी तथा निकाय

डेलीगेसी

8.01– धारा 19 के खण्ड (क) से (ज) तक में निर्दिष्ट प्राधिकारियों के अतिरिक्त डेलीगेसी को विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाता है : धारा 49(झ)

8.02– डेलीगेसी में निम्नलिखित होंगे – धारा 47(5)

(एक) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(दो) डेलीगेसी का उपाध्यक्ष;

(तीन) डेलीगेसी का सचिव;

(चार) डेलीगेसी का कोषाध्यक्ष;

(पांच) डेलीगेसी का सभापति;

(छः) प्रत्येक केन्द्र का एक निवासी जो कुलपति द्वारा उस क्षेत्र में उसके व्यक्तिगत प्रभाव तथा छात्र–कल्याण में उसकी अभिरूचि को ध्यान में रखकर नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा;

(सात) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(आठ) विश्वविद्यालय का ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी;

(नौ) प्राक्टर;

(दस) एथलेटिक एसोसियेशन के सभापति;

(ग्यारह)विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्य समिति का एक प्रतिनिधि।

8.03–डेलीगेसी का उपाध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाये, नियुक्त किया जायगा। वह विश्वविद्यालय का कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवावधि का एक अध्यापक (जो विभागाध्यक्ष, छात्र–निवास का प्रोवोस्ट या छात्रावास का वार्डन न हो) होगा। वह उपाध्यक्ष के रूप में दो क्रमवर्ती कार्यकाल में कार्य करने के पश्चात् उपाध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र न होगा। धारा 47(5)

8.04–लखनऊ नगर निगम तथा लखनऊ कैन्टोमेंट बोर्ड की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्र को, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र रहते हैं, सर्किलों में बांटा जायेगा, जिसमें यथासम्भव, प्रत्येक में, एक डेलीगेसी होगी और वहाँ यथासम्भव प्रकाश, पठन–पाठन तथा अंतःशालीय और बाह्यशालीय खेलकूद की सामग्री का प्रबन्ध होगा। डेलीगेसी का केन्द्रों में विभाजन तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन का कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा। धारा 47(5)

8.05–कार्य परिषद प्रत्येक डेलीगेसी में विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से एक कोषाध्यक्ष, एक सचिव तथा एक सभापति नियुक्त करेगी।

8.06–डेलीगेसी अपनी सीमा में रहने वाले विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों के निवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण की देखभाल करेगी। धारा 21(1) (vii) तथा 47(5)

धारा 47(5) 8.07—विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों, जो किसी महाविद्यालय या छात्र निवास में नहीं रहते अथवा उससे सम्बद्ध नहीं है, के कल्याण–वर्धन के लिए डेलीगेसी सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा विशेषतया :—

(एक) विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों का एक पूरा रजिस्टर रखेगी जिसमें उनके निवास–स्थान का पता रहेगा तथा यह भी कि वे अपने माता–पिता या अभिभावक के साथ रहते हैं, या नहीं

(दो) ऐसे छात्रों के लिए उपयुक्त निवास–स्थान अनुरक्षित या अनुमोदित करेगी।

(तीन) ऐसे छात्रों के लिए साहित्यिक सुविधाओं की व्यवस्था करेगी,

(चार) ऐसे छात्रों के लिए विश्वविद्यालय परिसर में या उसके बाहर व्यायाम के लिए सुविधाओं की व्यवस्था अथवा उनका प्रबन्ध करेगी और

(पांच) ऐसे छात्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का अनुरक्षण करेगी।

धारा 47(5) 8.08—डेलीगेसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आय तथा व्यय की मदों का लेखा कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगी। वह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय तथा व्यय का एक अनुमान कार्य परिषद् को प्रत्येक वर्ष अगस्त के अन्त तक प्रस्तुत करेगी ताकि कार्य परिषद् आवश्यक निधि की व्यवस्था कर सके।

धारा 47(5) 8.09—डेलीगेसी छात्रों के कल्याण तथा पर्यवेक्षण के लिए और अपने कार्य–कलापों को विनियमित करने के लिए ऐसी फीस लेगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाय।

अनुशासनिक समिति

धारा 49 8.10—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट प्रति–कुलपति और उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे :

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) कोई अध्यापक, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन हो, मामले के संबंध में कार्यवाही करने वाली अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य परिषद कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अन्तरित कर सकती है।

धारा 49 8.11—(1) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) परिनियम 2.07 के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अपील पर विनिश्चय करना।

(ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो।

(ग) उपर्युक्त उप–खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की संस्तुति करना जिसके विरूद्ध जांच विचाराधीन या अनुध्यात हो।

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(2) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(3) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र, कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी जिससे कार्य–परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सके।

विभागीय समितियाँ

8.12–परिनियम 2.20 के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की सहायता के लिए विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागीय समिति होगी। धारा 49

8.13–विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे — धारा 49

(एक) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) विभाग के समस्त आचार्य, और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग के समस्त सह–आचार्य।

(तीन) यदि किसी विभाग में आचार्य के साथ–साथ सह–आचार्य भी हों तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए दो सह–आचार्य।

(चार) यदि किसी विभाग में सह–आचार्य के साथ–साथ सहायक आचार्य भी हों तो एक सहायक आचार्य, और यदि किसी विभाग में कोई सह–आचार्य न हो तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो सहायक आचार्य तीन वर्ष की अवधि के लिए :

परन्तु यह कि किसी विशेष या विद्या विशेष से विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिए उस विषय या विद्या विशेष का ज्येष्ठतम् अध्यापक, यदि उसे पूर्ववर्ती शीर्षकों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा।

8.14– विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(i) विभाग के अध्यापकों में अध्यापन कार्य के वितरण के संबंध में सिफारिश करना,

(ii) विभाग में अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना,

(iii) विभाग में ऐसे कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करने के संबंध में जिसके लिये विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हो, सिफारिश करना,

(iv) विभाग के सामान्य और विद्या विषयक रुचि के मामलों पर विचार करना।

8.15–समिति की बैठक प्रत्येक–तिमाही में कम–से–कम एक बार होगी। इस बैठक का कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे। धारा 49

परीक्षा समिति

8.16–परीक्षा समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या धारा–29 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट उप समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की किसी आगामी परीक्षा में बैठने से तीन वर्षों तक की अवधि के लिए वंचित कर सकती है यदि समिति की राय में विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में ऐसा परीक्षार्थी दुर्व्यवहार का दोषी था या अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी था। धारा 49 तथा धारा 29(3)

अध्याय 9

बोर्ड

9.01–विश्वविद्यालय में संकाय बोर्डों तथा अध्ययन बोर्डों के अतिरिक्त निम्नलिखित बोर्ड हो सकते हैं, अर्थात् — धारा 49

(क) छात्र कल्याण बोर्ड।

(ख) प्राच्य विद्या बोर्ड।

(ग) समन्वय बोर्ड।

(घ) प्रबन्ध विज्ञान संस्थान का शासी बोर्ड।

9.02–परिनियम 9.01 में उल्लिखित बोर्डों की शक्ति, कृत्य तथा गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय : धारा 49 तथा 51

परन्तु यह कि उक्त परिनियम के खण्ड (क) में निर्दिष्ट छात्र कल्याण से सम्बन्धित अध्यादेशों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करेगा और ऐसे छात्रों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

धारा 49 तथा 51 9.03–जब तक कि परिनियम 9.02 के अनुसार नये बोर्ड का गठन न हो जाय, परिनियम 9.01 में उल्लिखित तथा इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व दिनांक को, विद्यमान बोर्ड कार्य करता रहेगा।

अध्याय 10

अध्यापकों का वर्गीकरण

10.01– विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :

(1) आचार्य

(2) सह–आचार्य, तथा

(3) सहायक आचार्य

धारा 31 तथा 49(घ) 10.02–विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द, किसी प्रतिकूल कथन के अभाव में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समय–समय पर जारी की गयी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट और विश्वविद्यालय की इस परिनियमावली, अध्यादेशों और विनियमावली में भी यथाविनिर्दिष्ट निबन्धन एवं शर्तों और आचार संहिता द्वारा शासित होंगे। विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्ण कालिक आधार पर नियुक्त किये जाएंगे:

परन्तु यह कि ऐसे विषयों के लिए, अंशकालिक सहायक आचार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित निबन्धन एवं शर्तों पर नियुक्त किये जा सकते हैं, जिसमें विद्या परिषद् की राय में ऐसे सहायक आचार्यों की अध्यापन कार्य के हित में अथवा अन्य कारण से आवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक सहायक आचार्य ऐसा मानदेय/भत्ता प्राप्त कर सकेंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय। तथापि अंशकालिक अध्यापकों का अनुपात किसी भी समय विभाग में पूर्णकालिक अध्यापन कर्मचारीवृन्द की कुल संख्या के एक चौथाई से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी विभाग में अध्यापकों की संख्या चार से कम हो तो कुलपति द्वारा एक अंशकालिक अध्यापक को नियुक्त करने की अनुज्ञा दी जा सकती है। तथापि अंशकालिक अध्यापक विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक कार्यभार नहीं ग्रहण करेगा।

धारा 31 तथा 49(घ) 10.03–कार्य–परिषद् विद्या–परिषद् की सिफारिशों पर निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है :–

(1) उस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट संविदा पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य।

(2) अवैतनिक सेवा–मुक्त आचार्य :–

(क) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे,

(ख) जो अनुसंधान–कार्य का मार्ग–दर्शन करेंगे,

(ग) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होंगे तथा उसके विचार–विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा,

(घ) जिन्हें यथासम्भव विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायेंगी, और

(ङ) जो समस्त दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति केवल विभाग में अवैतनिक सेवा–मुक्त आचार्य के रूप में, आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

अध्याय 11

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग की अर्हताएं और नियुक्ति

निम्नलिखित में अध्यापकों के लिए–

11.01 (क) कृषि और पशु विज्ञान संकाय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मानदंड/विनियम;

(ख) औषधि, दंत चिकित्सा, नर्सिंग और आयुष के संकाय में, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद आदि या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के मानदण्ड/विनियम;

(ग) शिक्षा संकाय में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से बनाये गये मानदंड/विनियम;

(घ) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, फॉरमेसी एण्ड मैनेजमेंट, बिजनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन में अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद के परामर्श से बनाये गये मानदंड/विनियम;

(ङ) उपाधि, पी0जी0 डिप्लोमा और स्नातकोत्तर स्तर पर पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय पुनर्वास परिषद के परामर्श से बनाये गये मानदंड/विनियम;

(च) विधि संकाय में भारतीय विधिज्ञ परिषद के मानदंड/विनियम;

(छ) अन्य संकायों (अर्थात् कला, वाणिज्य, ललित कला, गृह विज्ञान, संगीत और विज्ञान आदि) में, न्यूनतम अर्हताओं पर आधारित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम।

11.02–धारा 31(10) में निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन सामान्यतया अभ्यर्थियों को कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनांक से देगा जिस दिनांक को समाचार-पत्र का अंक निकाला गया, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे। धारा 31 (10)

11.03–(क) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेश से बुलायी जायेगी। धारा 31 तथा 49(घ)

(ख) चयन समिति विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि उसने इसके लिए आवेदन पत्र न दिया हो, और जब तक वह चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार में सम्मिलित न हुआ हो:

परन्तु यह कि किसी आचार्य की नियुक्ति के मामले में, समिति कुलपति के अनुमोदन से, उन व्यक्तियों के, जिन्होंने आवेदन-पत्र न दिये हों, नाम पर विचार कर सकती है।

(ग) चयन समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, समिति या कार्य परिषद की बैठक से अलग कर लेगा, यदि ऐसी बैठक में ऐसे सदस्य के किसी नातेदार की (जैसा कि धारा 20 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

11.04–(क) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम की संस्तुति करे तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान-क्रम में रख सकती है। जहाँ समिति अधिमान क्रम में नामों को रखने का विनिश्चय करे वहाँ यह समझा जायेगा कि उसने यह इंगित कर दिया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में, तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा;

(ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायगा।

11.05–चयन समिति की संस्तुतियाँ तथा उनसे सम्बन्धित कार्य– परिषद की कार्यवाहियाँ अत्यन्त गोपनीय रखी जायेंगी। धारा 49 (ख)

धारा 21(1) (xvii) (31) तथा 49(घ)

11.06— यदि धारा 31(2) के अधीन नियुक्त अध्यापक का कार्य तथा आचरण —

(एक) संतोषजनक समझा जाये तो कार्यपरिषद परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ाई गई अवधि भी है) अन्त में अध्यापक को स्थाई कर सकती है।

(दो) संतोषजनक न समझा जाये तो कार्य परिषद परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी है) दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर अध्यापक की सेवायें धारा–31 के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

धारा 30 तथा 49(घ)

11.07–चयन समिति की बैठक विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगी।

धारा 21(1), 30 तथा 49(घ)

11.08–चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना, जो पंद्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी जिसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायेगी।

धारा 21(1), 30 तथा 49(घ)

11.09–अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायेगी। सूचना की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायेगी।

धारा 21(1), 30 तथा 49(घ)

11.10–चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता अध्यादेशों से विहित दरों पर विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा।

11.11–अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में और चयन समिति की संस्तुति पर, कार्य–परिषद ऐसे अध्यापकों को, जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पाँच अग्रिम वेतन वृद्धि की सीमा तक अनुमति दे सकती है। यदि किसी मामले में पाँच अग्रिम वेतन वृद्धियों की सीमा से अधिक देनी आवश्यक हो तो नियुक्ति करने से पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

11.12 **भर्ती एवं न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी सामान्य प्रावधान**

11.12.01 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक आचार्यों एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट /स्लेट/सेट पूर्ववत न्यूनतम पात्रता शर्त रहेगी:

परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार या तो पीएच0डी0 उपाधि प्रदान की गयी है या प्रदान की जा चुकी है, नेट/स्लेट/सेट की उन शर्तों न्यूनतम पात्रता की शर्त की अनिवार्यता से छूट होगी जो विश्वविद्यालय /महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक आचार्यों एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।

11.12.02 ऐसे स्नातकोत्तर उपाधि के कार्यक्रमों के लिए उन समस्त शाखाओं में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी जिन में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

11.12.03 ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जो उद्योगों और शोध संस्थाओं से किसी स्तर पर अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने वाले हैं, और सहायक आचार्य एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रवेश स्तर पर स्नातकोत्तर उपाधि के स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ उत्तम शैक्षणिक अभिलेख, उप परिनियम 11.12.05 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन, अपेक्षित होगी:

परन्तु यह कि ऐसे पीएच0डी0 धारकों, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, को अंकों में 5 प्रतिशत, 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, तक की शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

11.12.04 सहायक आचार्य एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए उत्तम शैक्षणिक अभिलेख की न्यूनतम आवश्यकता:– स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंक, स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ किसी भी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड में) और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या किसी प्रत्यायित परीक्षा (राज्य स्तरीय पात्रता प्रवेश-स्लेट/सेट) उप-परिनियम 11.12.05 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन पूर्ववत रहेगी।

11.12.05 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न रूपेण शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं उत्तम शैक्षणिक अभिलेख को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष ग्रेड में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है, ये अनुमत होंगी, जोकि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी-और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

11.12.06 जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर सुसंगत ग्रेड जो 55 प्रतिशत के सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो, पात्र समझी जाएगी।

11.12.07 पी०एच०डी० डिग्री निम्नलिखित के लिए अनिवार्य अर्हता होगी–

(क) आचार्यों/पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आचार्य/पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में प्रोन्नति के लिए।

(ख) ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से सह आचार्य, उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाना है

11.12.08 एम.फिल और/अथवा पी०एच०डी० डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्यापन/शोध के अनुभव के रूप में अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी समयावधि को शैक्षणिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के दावे के रूप में नहीं समझा जायेगा।

11.12.09 संकाय के सीधी भर्ती के सभी पदों और/सहायक आचार्य/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष से सह आचार्य/उप पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सह आचार्य/उप पुस्तकालयाध्यक्ष से आचार्य/पुस्तकालयाध्यक्ष के कैरियर एडवांसमेन्ट प्रोमोशन के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-31 में दी गयी चयन समितियों की विशिष्टतायें लागू होंगी।

11.12.10 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा जहाँ परिणाम सात अंक पैमाने के आधार पर घोषित किये जाते हैं, वहाँ उसके समतुल्य प्रतिशत अंक निर्धारित करने के लिये, निम्नलिखित तकनीक का उपयोग किया जायेगा :-

अ–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्ड के अधीन

ग्रेड	ग्रेड पॉइन्ट	प्रतिशत समतुल्य
'ओ'– उत्कृष्ट	5.50–6.00	75–100
'ए' –अति उत्तम	4.50–5.49	65–74
'बी'– उत्तम	3.50–4.49	55–64
'सी' –सामान्य	2.50–3.49	45–54
'डी'–सामान्य से नीचे	1.50–2.49	35–44
'ई'–निम्न स्तरीय	0.50–1.49	25–34
'एफ'–'असफल	0.0–0.49	0–24

ब–एआईसीटीई के मानदण्ड के अधीन

ग्रेड पॉइन्ट	समतुल्य प्रतिशत
6.25	55 प्रतिशत
6.75	60 प्रतिशत
7.25	65 प्रतिशत
7.75	70 प्रतिशत
8.25	75 प्रतिशत

यदि कोई वर्ग या श्रेणी नहीं प्रदान की गई है तो न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक पाने वाले को प्रथम वर्ग या श्रेणी के समतुल्य माना जायेगा।

11.12.11 **संविदा के आधार पर नियुक्ति (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम/संस्थाओं से भिन्न)–**

संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति तभी की जाय जब यह अत्यन्त आवश्यक हो और शिक्षक–छात्र अनुपात निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप न हो। किसी भी दशा में ऐसी नियुक्तियों की संख्या महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के संकाय में कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं चयन प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसा नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों के संबंध में लागू है। संविदा शिक्षकों को संदत्त नियत परिलब्धियाँ नियमित रूप से नियुक्त सहायक आचार्य के प्रारम्भिक स्तर पर सकल मासिक वेतन से कम नहीं होगी। प्रारम्भिक रूप से यह नियुक्तियां एक शैक्षिक–सत्र से अधिक के लिए नही की जायेंगी। शिक्षक को दूसरे कार्यकाल के लिए संविदा के आधार पर पुनः नियुक्ति से पूर्व शिक्षक के शैक्षिक कार्य निष्पादन की समीक्षा अवश्य की जानी चाहिए।

11.12.12 **शारीरिक स्वस्थता परीक्षण संबंधी मानदण्ड–**

(क) इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिए शारीरिक स्वस्थता परीक्षण में बैठना आवश्यक है, उन्हें ऐसे परीक्षणों में सम्मिलित होने से पूर्व राज्य चिकित्सा परिषद् से निर्गत चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया गया होगा कि वह (पुरूष/महिला) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है।

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित चिकित्सीय प्रमाण प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को शारीरिक स्वस्थता परीक्षण में निम्न मानदण्डों के अनुसार सम्मिलित होना होगा :

पुरुषों के लिए मानदण्ड			
12 मिनट की दौड़/चलने का परीक्षण			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिए मानदण्ड			
8 मिनट की दौड़/चलने का परीक्षण			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

11.13 **विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं पुस्तकालय संवर्ग की सीधी भर्ती–**

11.13.01 इस परिनियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, और परिनियम 11.12 में अन्तर्विष्ट सामान्य उपबन्धों के अधीन, न्यूनतम अर्हता मानदण्ड नीचे उल्लिखित उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सह आचार्य/उप पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु सामान्य अर्हता मानदण्ड

(क) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 उपाधि

(ख) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड)।

(ग) किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित शोध संस्थान/उद्योग में सहायक आचार्य/प्राध्यापक/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के समकक्ष किसी शैक्षणिक/शोध पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण और/अथवा शोध का अनुभव हो जिसमें प्रकाशित रचना के प्रमाण के साथ पीएच0डी0 के लिए शोध की अवधि सम्मिलित नहीं है, और न्यूनतम 5 रचनाएँ पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषयगत नीति से जुड़े प्रपत्रों के रूप में प्रकाशित हों।

(घ) शैक्षणिक नवोन्मेषी डिजाइन युक्त नूतन पाठ्य विषयों एवं उसकी प्रौद्योगिकी–माध्यम से युक्त शैक्षणिक अध्यापक–अध्ययन प्रक्रिया में योगदान तथा इस बात का प्रमाण हो कि उसने शोध छात्रों एवं डॉक्टरीय स्तर के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया है।

(ङ) न्यूनतम प्राप्तांक, जैसा कि परिशिष्ट-घ की तालिका 1-6 में निर्दिष्ट शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) पर आधारित निष्पादन आधारित प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) में उल्लिखित है।

11.13.02 **आचार्य हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड–**

(क) सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत भाषा में पीएच0डी0 धारक एक प्रख्यात विद्वान हो और उसकी प्रकाशित रचना बहुत उत्कृष्ट कोटि की हो और शोध कार्य में सक्रिय रूप से रत हो तथा जिसके प्रकाशित ग्रन्थ का साक्ष्य विद्यमान हो एवं उसकी कम से कम 10 रचनाएँ पुस्तकों एवं/अथवा शोध/एवं विषय से जुड़े नीति विषयक प्रपत्रों के रूप में प्रकाशित हों।

(ख) किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/उद्योगों में शोध का अनुभव हो; जिसमें डॉक्टरीय स्तर पर कर रहे शोध छात्रों का मार्गदर्शन करने का अनुभव भी सम्मिलित है; और,

(ग) शैक्षिक नवोन्मेष रूपांकन युक्त नूतन पाठ्यक्रम तथा विषयों का विस्तार एवं प्रौद्योगिकी माध्यम से युक्त अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में योगदान; और,

(घ) न्यूनतम प्राप्तांक, जैसा कि परिशिष्ट-घ की तालिका 1-6 में निर्दिष्ट शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए0पी0आई0) पर आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) में उल्लिखित है,

अथवा

अपने सुसंगत प्रासंगिक कार्य–क्षेत्र में सर्वमान्य प्रतिष्ठित एक उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति हो तथा जिसने सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखा के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रदायकों द्वारा किया जाय।

11.13.03 **प्राचार्य हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड**

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ हो (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड)

(ख) सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपाधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन के साक्ष्यों सहित ।

(ग) सह आचार्य (उपाचार्य)/आचार्य, जिसका उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन/शोध/प्रशासन का अनुभव हो।

(घ) न्यूनतम प्राप्तांक परिशिष्ट घ की तालिका 1–6 में, निर्दिष्ट शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) में उल्लिखित है।

11.13.04 **(क) कला, मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, भाषा, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार के संकायों के लिए न्यूनतम अर्हताएं–**

सहायक आचार्य

(क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ राज्य सरकार द्वारा यथापरिभाषित उत्तम शैक्षणिक-अभिलेख या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

(ख) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थी को यू0जी0सी0, सी0एस0आई0आर0 द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा इस के समकक्ष यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित परीक्षा, यथा स्लेट/सेट अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ग) इस खण्ड के उपखण्ड (क) और (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार या तो पीएच0डी0 उपाधि प्रदान की गयी हो या प्रदान की जा चुकी है, उसको नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की अनिवार्यता से छूट होगी, जो कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा इनके समकक्ष पद वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।

(घ) ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त शाखाओं में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा अपेक्षित नहीं होगी जिसमें नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

सह आचार्य एवं आचार्य

जैसा कि उप परिनियम 11.13.01 एवं 11.13.02 में उपबन्धित है।

(ख) संगीत एवं नृत्य शाखा–

सहायक आचार्य

(क) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ उत्तम शैक्षणिक अभिलेख या किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि; और,

(ख) जैसा कि उप परिनियम 11.12.01 एवं 11.12.02 में उपबन्धित है,

अथवा

एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् हो जिसने विषय विशेष में अत्यधिक प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की है ; और,

(एक) उसने सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो तथा उसे विषय विशेष की व्याख्या करने का वृहत् ज्ञान हो; और,

(दो) वह दूरदर्शन/आकाशवाणी का उच्च स्तरीय कलाकार हो; और,

(तीन) उसमें सम्बन्धित विषय विशेष के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या करने तथा शाखा में सैद्धान्तिक पक्ष का सचित्र अध्यापन करने का पर्याप्त ज्ञान हो।

सह–आचार्य

(क) उत्तम शैक्षणिक अभिलेख सहित डॉक्टर उपाधि तथा उसमें उच्च व्यावसायिक मानकों से युक्त निष्पादन क्षमता हो।

(ख) किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर अध्यापन करने का और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में शोध करने उस अवधि को छोड़कर जो उसने शोध उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की है, का 8 वर्ष का अनुभव हो, और,

(ग) उसकी प्रकाशित रचनाओं की गुणवत्ता से इस बात का साक्ष्य प्रकट होता हो कि उसने सम्बन्धित विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; और,

(घ) शैक्षणिक नवोन्मेषों में योगदान, यथा नूतन पाठ्यक्रमों और/या पाठ्यचर्या का रूपांकन कार्य, और/या अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन उपलब्धि,

अथवा

एक परम्परावादी एवं व्यावसायिक कलाकार हो जिसने विषय विशेष में, अत्यधिक प्रशंसनीय एवं व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की हो, और जो निम्नवत् हो अथवा उसके पास हो –

(एक) आकाशवाणी/दूरदर्शन का "ए" स्तर का कलाकार;

(दो) अपने विशेषीकृत क्षेत्र में आठ वर्ष की उत्कृष्ट निष्पादन की उपलब्धि;

(तीन) नवीन पाठ्यक्रमों एवं/अथवा पाठ्य विवरणों के रूपांकन का अनुभव,

(चार) प्रतिष्ठित संस्थानों में विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी; और,

(पांच) अपने विषय विशेष के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या प्रस्तुत करने की क्षमता तथा उस शाखा से जुड़े सिद्धांतों को चित्रों की सहायता से अध्यापन करने का पर्याप्त ज्ञान।

आचार्य

एक सुप्रसिद्ध विद्वान, जिसके पास डॉक्टरीय उपाधि हो, जो शोध कार्य में सक्रिय रूप से रत हो, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्था में शोध में दस वर्ष का अनुभव हो जिसमें डाक्टरीय स्तर पर शोध कार्य में मार्गदर्शन का अनुभव भी सम्मिलित है तथा उसने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन उपलब्धि प्राप्त की हो,

अथवा

एक परम्परावादी एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने विषय विशेष में अत्यधिक प्रशंसनीय एवं व्यावसायिक निष्पादन उपलब्धि प्राप्त की हो, जो निम्नवत् हो अथवा उसके पास हो,–

(एक) आकाशवाणी/दूरदर्शन का "ए" ग्रेड कलाकार ;

(दो) अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन युक्त उपलब्धियों का 12 वर्ष का अनुभव ;

(तीन) विशेषज्ञता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान तथा शोध कार्य में मार्गदर्शन करने की योग्यता ;

(चार) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों/अध्येतावृत्तियों का प्राप्तकर्ता ; और,

(पांच) विषय विशेष के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या प्रस्तुत करने की योग्यता एवं उस शाखा से जुड़े सिद्धान्तों को चित्रों की सहायता से अध्यापन करने का पर्याप्त ज्ञान ;

(ग) नाटक शाखा

सहायक आचार्य

(क) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ उत्तम शैक्षणिक अभिलेख या किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि ; और,

(ख) जैसा कि उप परिनियम 11.12.01 एवं 11.12.02 में उपबन्धित है,

अथवा

एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् हो जिसने विषय विशेष में अत्याधिक प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की है, जो निम्नवत् हो अथवा उसके पास हो –

(एक) जिसके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारत या विदेश से इस रूप में अनुमोदित संस्थान से प्रथम श्रेणी व्यावसायिक कलाकार की डिग्री/डिप्लोमा धारक ;

(दो) क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो, और,

(तीन) विषय विशेष के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या प्रस्तुत करने की क्षमता एवं उस शाखा से सम्बन्धित सिद्धान्तों को चित्रों की सहायता से अध्यापन करने का पर्याप्त ज्ञान।

सह आचार्य

(क) सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए गठित किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत उच्च व्यावसायिक मानकयुक्त निष्पादन योग्यता सहित डाक्टरीय उपाधि के साथ उत्तम शैक्षणिक उपाधि ; और,

(ख) किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर अध्यापन करने का और/विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में शोध करने का उस अवधि को छोड़कर जो उसने शोध उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की हो आठ वर्ष का अनुभव ;

(ग) उसकी प्रकाशित रचनाओं की गुणवत्ता से इस बात का साक्ष्य प्रकट होता हो कि उसने सम्बन्धित विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(घ) शैक्षणिक नवोन्मेषी में योगदान–यथा न्यून पाठ्यक्रमों और/या पाठ्यचर्या का रूपांकन कार्य और/या अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन उपलब्धि,

अथवा

वह एक परम्परावादी व्यावसायिक कलाकार हो जिसने विषय विशेष में अत्याधिक प्रशंसनीय/एवं व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की हो तथा जो निम्नवत् हो अथवा उसके पास हो, –

(एक) रंगमंच/रेडियो/दूरदर्शन का अभिज्ञात कलाकार ;

(दो) अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन उपलब्धियों का आठ वर्ष का अनुभव ;

(तीन) नवीन पाठ्यक्रमों और/अथवा पाठ्यचर्या के रूपांकन का अनुभव ;

(चार) प्रतिष्ठित संस्थानों में विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी ; एवं

(पांच) उसमें विषय विशेष के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या प्रस्तुत करने की क्षमता एवं उस शाखा से सम्बन्धित सिद्धान्तों को चित्रों की सहायता से अध्ययन करने का पर्याप्त ज्ञान।

आचार्य

एक सुप्रसिद्ध विद्वान जिसके पास डाक्टरीय उपाधि हो, जो शोध कार्य में सक्रिय रूप से रत हो, जिसके पास, किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्था में 10 वर्ष का अध्यापन एवं/अथवा शोध का अनुभव हो, जिसमें डाक्टरीय स्तर पर शोध कार्य में मार्गदर्शन करने का अनुभव भी सम्मिलित है, और विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन उपलब्धियाँ प्राप्त की हो,

अथवा

वह एक परम्परावादी एवं व्यावसायिक कलाकार हो जिसने विषय विशेष में प्रशंसनीय एवं व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की हो, और जो निम्नवत् हो अथवा उसके पास हो —

1. अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन युक्त उपलब्धियों का 12 वर्ष का अनुभव ;

2. विशेषज्ञता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान तथा उसमें शोध कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता ;

3. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/ कार्यशालाओं में सहभागिता, और/अथवा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्तियों की प्राप्ति ; और,

4. विषय विशेष के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या प्रस्तुत करने की योग्यता एवं सम्बन्धित सिद्धान्तों को चित्रों की सहायता से अध्यापन करने का उसे पर्याप्त ज्ञान।

(घ) दृश्य (ललित) कला शाखा–

सहायक आचार्य

(क) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ उत्तम शैक्षणिक अभिलेख या किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि ; और,

(ख) जैसा कि उप परिनियम 11.12.01 एवं 11.12.02 में उपबन्धित है,

अथवा

वह एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी सम्बद्ध विषय में अत्यधिक प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो, तथा जिसके पास–

(एक) भारतवर्ष/विदेश की मान्यता प्राप्त संस्थान से दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा हो;

(दो) नियमित रूप से क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/कार्यशालाएँ आयोजित करने का 5 वर्ष का अनुभव हो जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो ; एवं,

(तीन) उसमें विषय विशेष के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या प्रस्तुत करने की योग्यता हो एवं उस शाखा से सम्बन्धित सिद्धान्तों को चित्रों की सहायता से अध्यापन करने का पर्याप्त ज्ञान हो।

सह आचार्य

(क) पीएच0डी0 उपाधि सहित उत्तम शैक्षणिक अभिलेख और उसमें उच्च व्यावसायिक मानक की निष्पादन योग्यता हो ;

(ख) इसके अतिरिक्त उसके पास किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में किये गए अध्यापन एवं शोध करने का उस अवधि को छोड़कर जो उसने शोध उपाधि एम.फिल/पीएच0डी0 प्राप्त करने में व्यतीत की है कुल 8 वर्ष का अनुभव हो ;

(ग) उसकी प्रकाशित रचनाओं की गुणवत्ता से इस बात का साक्ष्य प्रकट होता हो कि उसने सम्बन्धित विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया है, और,

(ख) शैक्षणिक व्यवसाय में योगदान–यथा नूतन पाठ्यक्रमों और/या पाठ्यचर्या का रूपांकन कार्य और/या अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन उपलब्धि,

अथवा

वह एक परम्परावादी एवं व्यावसायिक कलाकार हो, जिसने विषय विशेष में अत्यधिक प्रशंसनीय/एवं व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की हो तथा जो निम्नवत् हो अथवा उसके पास हो, –

(एक) अपनी शाखा का अभिज्ञात कलाकार ,

(दो) अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन उपलब्धियों का आठ वर्ष का अनुभव ;

(तीन) नवीन पाठ्यक्रम एवं/अथवा पाठ्यचर्या के रूपांकन का अनुभव ;

(चार) प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी ; और

(पांच) विषय विशेष के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या प्रस्तुत करने की योग्यता एवं उस शाखा से सम्बन्धित सिद्धान्तों से चित्रों की सहायता से अध्ययन करने का पर्याप्त ज्ञान।

आचार्य

एक प्रसिद्ध विद्वान हो, जिसके पास डाक्टरीय उपाधि हो, जो शोध कार्य में सक्रिय रूप से रत हो, जिसके पास, किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्था में 10 वर्ष का अध्यापन एवं/अथवा शोध का अनुभव हो, जिसमें डाक्टरीय स्तर पर शोधकार्य में मार्गदर्शन का अनुभव भी सम्मिलित है, विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन उपलब्धियाँ प्राप्त की हो,

अथवा

एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार हो जिसे अपने सम्बद्ध विषय में अत्याधिक प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की है – तथा जिसके पास होना चाहिये–

(एक) नियमित रूप से क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने में 12 वर्ष का अनुभव, जो साक्ष्य द्वारा समर्थित हो ;

(दो) अपनी विशेषता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान तथा शोध कार्य में मार्गदर्शन की योग्यता हो ;

(तीन) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी एवं/अथवा राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों/अध्येतावृत्तियों का प्राप्तकर्ता हो;

(चार) उसमें विषय विशेष के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या प्रस्तुत करने की योग्यता हो एवं उस शाखा से सम्बन्धित सिद्धान्तों का चित्रों की सहायता से अध्यापन करने का पर्याप्त ज्ञान हो ।

(ड) व्यावसायिक चिकित्सा–

सहायक आचार्य

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में एक समकक्ष ग्रेड)। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बी.ओ.टी./बी.टी.एच.ओ./बी.ओ.टी.एच.) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.ओ.टी.एच./एम.टी.एच.ओ./एम.एस.सी.ओ.टी./एम.ओ.टी.।

सह आचार्य

व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर (एम.ओ.टी./एम.ओ.टी.एच./एम.एससीओ.टी.) साथ में सहायक आचार्य के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो।

ऐच्छिक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक चिकित्सा की किसी शाखा में उच्चतर अर्हता अर्थात् पीएच.डी./उच्च कोटि की स्वतन्त्र प्रकाशित रचना।

आचार्य

व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.ओ.टी./एम.ओ.टीएच/एम.टी.एच.ओ./एम.एससी. ओ.टी.) सहित कुल 11 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें सह – आचार्य (व्यावसायिक चिकित्सा) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव भी सम्मिलित है।

ऐच्छिक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य व्यावसायिक चिकित्सा की किसी भी शाखा में उच्चतर अर्हता, अर्थात् पी०एच०डी०/ उच्च कोटि का प्रकाशित कार्य।

प्राचार्य / निदेशक / संकायाध्यक्ष

(क) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर (एम.ओ.टी. / एम.टीएच.ओ. / एम.ओ.टीएच. / एम.एससी. ओ.टी.) एवं कुल 15 वर्ष का अनुभव हो जिसमें आचार्य (व्यावसायिक चिकित्सा) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव सम्मिलित है।

(ख) ज्येष्ठतम आचार्य ही प्राचार्य / निदेशक / संकायाध्यक्ष होगा।

(ग) **ऐच्छिक** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक चिकित्सा की किसी शाखा में उच्चतर अर्हता अर्थात् पीएच.डी. / उच्च कोटि की स्वतंत्र प्रकाशित रचना।

(च) फिजियोथेरापी–

सहायक आचार्य

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में स्नातक उपाधि (बी.पी. / टी. / बी.टीएच. / पी / बी.पी.टीएच.) फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम / पी.टीएच / एम.टीएच.पी. / एम. एससी.पी.टी. / एम.पी.टी.) में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पॉइन्ट स्केल में एक समकक्ष ग्रेड)।

सह आचार्य

फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर (एम.पी.टी / एम.पी.टीएच / एम.टीएच.पी. / एम.एससी.पी.टी.) साथ में सहायक आचार्य के रूप में कुल 8 वर्ष का अनुभव।

ऐच्छिक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी की किसी शाखा में उच्चतर अर्हता अर्थात् पीएच.डी. / उच्च कोटि की स्वतन्त्र प्रकाशित रचना।

आचार्य

फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर (एम.पी.टी. / एम.पी.टीएच / एम.टीएच.पी. / एम.एससी.पी.टी.) साथ में कुल 11 वर्ष का अनुभव, जिसमें सह आचार्य (फिजियोथेरेपी) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव भी सम्मिलित है।

ऐच्छिक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी की किसी भी शाखा में उच्चतर अर्हता अर्थात् पीएच०डी० / उच्च कोटि की स्वतंत्र प्रकाशित रचना।

प्राचार्य / निदेशक / संकायाध्यक्ष

(क) फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर (एम.पी.टी / एम.टीएच.पी. / एम.पी.टीएच / एम.एससी.पी.टी) साथ में कुल 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें आचार्य (फिजियोथेरेपी) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव भी सम्मिलित है।

(ख) ज्येष्ठतम आचार्य ही प्राचार्य / निदेशक / संकायाध्यक्ष होंगे।

ऐच्छिक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी की किसी भी शाखा में उच्चतर अर्हता अर्थात् पीएच०डी० / उच्च कोटि की स्वतंत्र प्रकाशित रचना।

(छ) प्रबंधन / व्यवसाय प्रशासन संकाय–

सहायक आचार्य

(क) व्यवसाय प्रबन्धन / प्रशासन / किसी सुसंगत प्रबंधन से संबद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष ;

अथवा

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक एवं व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट / कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट / कम्पनी सचिव जो कि संबद्ध सांविधिक निकायों से हों।

ऐच्छिक :

(क) न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं / अथवा किसी एक प्रतिष्ठित संगठन में प्रबन्धन स्तर पर व्यावसायिक अनुभव हो।

(ख) सम्मेलनों में प्रस्तुत और / अथवा निर्दिष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रपत्र।

सह आचार्य

(क) व्यवसाय प्रबन्धन/प्रशासन/किसी सुसंगत प्रबन्धन से सम्बद्ध शाखा स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंक (जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा सकता है वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) सहित अविच्छिन्न शैक्षणिक अभिलेख अथवा दो वर्षीय पूर्ण कालिक पी.जी.डी.एम. में प्रथम वर्ष श्रेणी में उत्तीर्ण – जिसे ए.आइ.यू. द्वारा समकक्ष घोषित किया है/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है,

अथवा

प्रथम श्रेणी में स्नातक एवं व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कम्पनी सचिव जो सम्बद्ध सांविधिक निकाय का हो।

(ख) पीएच०डी० हो, अथवा भारतीय प्रबन्धन संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था का अध्येता हो तथा ए.आइ.यू. द्वारा समकक्ष घोषित किया गया हो।

(ग) न्यूनतम आठ वर्ष का अध्यापन/उद्योग संस्थान/शोध/प्रबन्धात्मक स्तर पर व्यावसायिक अनुभव उस अवधि को छोड़कर उसके द्वारा प्राप्त शोध उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गयी है,

अथवा

यदि अभ्यर्थी किसी उद्योग एवं व्यवसाय से है, तो निम्नलिखित अपेक्षाएं आवश्यक रूप से अनिवार्य होगी :–

(घ) व्यवसाय प्रबन्धन/प्रशासन/किसी सुसंगत प्रबन्धन से सम्बद्ध शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंक (जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) सहित उत्तम शैक्षणिक अभिलेख अथवा दो वर्षीय पूर्ण कालिक पी.जी.डी.एम. में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, जिसे ए.आई.यू. समस्तरीय घोषित किया गया है/ए.आइ.सी.टी.ई./यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है,

अथवा

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक तथा व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कंपनी सचिव जो किसी सम्बद्ध सांवाधिक निकाय में हो।

(ङ) किसी भी अध्यापन उद्योग/शोध/व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से पाँच वर्ष की अवधि सहायक आचार्य या उसके समकक्ष के स्तर पर रही हो उस अवधि को छोड़कर जो उसने शोध उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की हो। अभ्यर्थी के पास व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है और जिसे राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएच०डी० के समकक्ष माना जा सके हैं तथा इसके साथ ही उद्योग/व्यवसाय में दस वर्ष का प्रबन्धन का अनुभव हो जिसमें कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के दौरान प्राध्यापक/सहायक आचार्य के समतुल्य स्तर पर कार्य किया हो।

ऐच्छिक :

(क) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक अनुभव हो।

(ख) प्रकाशित रचना यथा शोध प्रपत्र, पेटैन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें/और अथवा तकनीकी रिपोर्ट, और,

(ग) स्नातकोत्तर/शोध छात्रों की शोध रचना/शोध प्रबन्ध अथवा उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास योजनाओं में पर्यवेक्षण कार्य करना।

आचार्य

(क) व्यावसाय प्रबन्धन/प्रशासन किसी सुसंगत शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि में 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ पॉइन्ट स्केल समकक्ष ग्रेड) सहित अविच्छिन्न शैक्षणिक अभिलेख अथवा पूर्णकालिक पी.जी.डी.एम. का दो वर्षीय पाठ्यक्रम हो, जो ए.आइ.यू. द्वारा समतुल्य घोषित हो/अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद द्वारा/यू.जी.सी. द्वारा मान्य हो, में कम से कम 60 प्रतिशत अंक (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) सहित अविच्छिन उत्तम शैक्षणिक अभिलेख

अथवा

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक हो और व्यावसायिक रूप से अर्ह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कंपनी सचिव जो कि संबद्ध सांविधिक निकाय में हो।

(ख) पीएच०डी० हो अथवा भारतीय प्रबन्धन संस्थान अथवा किसी ऐसे संस्थान का अध्येता हो – जो ए.आइ.सी.टी.ई. द्वारा मान्य हो एवं ए.आइ.यू. द्वारा समकक्ष घोषित किया गया हो।

(ग) किसी भी अध्यापन/उद्योग/शोध में/व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो – जिसमें से 5 वर्ष की अवधि उपाचार्य अथवा उसके समकक्ष स्तर पर व्यतीत हुई हो। उस अवधि को अपवर्जित करते हुए जो उसने शोध की उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की हो.

अथवा

यदि अभ्यर्थी किसी उद्योग एवं व्यवसाय से है, तो निम्न अपेक्षाएँ अनिवार्य होंगी –

(एक) व्यवसाय प्रबन्धन/प्रशासन/किसी सुसंगत प्रबन्धन से सम्बद्ध शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख अथवा पूर्णकालिक पी.जी.डी.एम. जो कि ए.आइ.ई. द्वारा समतुल्य घोषित हो/अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद द्वारा/यू.जी.सी. द्वारा मान्य हो, में 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) अंक सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख अथवा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक हो/और व्यावसायिक रूप से अर्ह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कंपनी सचिव जो कि संबद्ध सांविधिक निकाय में हो।

(दो) अभ्यर्थी के पास व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है और जिसे राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएच०डी के समकक्ष माना जा सके तथा इसके साथ ही उद्योग/व्यवसाय में बारह वर्ष का प्रबन्धन का अनुभव हो जिसमें कम से कम आठ वर्ष की अवधि के दौरान उपाचार्य/सहायक आचार्य के समकक्ष स्तर पर कार्य किया हो।

ऐच्छिक :

(क) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक अनुभव हो।

(ख) प्रकाशित रचना हो, यथा शोध प्रपत्र, पंजीकृत पेटेन्ट /उपलब्ध पुस्तकें/अथवा तकनीकी रिपोर्टें, और ,

(ग) स्नातकोत्तर/शोध छात्रों के परियोजना कार्य/शोध प्रबन्ध में मार्गदर्शन अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास योजनाओं में पर्यवेक्षण कार्य का अनुभव।

(घ) नियोजन करने तथा शैक्षणिक, शोध, औद्योगिक और/या व्यावसायिक गतिविधियों के नियोजन एवं संगठन कार्य में प्रत्यक्ष नेतृत्व।

(ङ) प्रत्यायोजित शोध एवं विकास परामर्श एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व लेने/नेतृत्व करने की क्षमता।

(ज) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय

सहायक आचार्य

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि।

ऐच्छिक :

(एक) किसी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक और/या व्यावसायिक अनुभव।

(दो) सम्मेलनों में और/या निर्दिष्ट जर्नल में प्रस्तुत किये गये प्रपत्र।

सह आचार्य

(क) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी के साथ कोई पीएच०डी० उपाधि, और ,

(ख) उपाचार्य/सहायक आचार्य या समकक्ष ग्रेड के स्तर पर अध्यापन/शोध/उद्योग में आठ वर्ष का न्यूनतम अनुभव (जिसमें से पीएच०डी० के बाद का अनुभव ऐच्छिक है), उस अवधि को छोड़कर जो उसने शोध उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की है।

अथवा

यदि अभ्यर्थी किसी उद्योग एवं व्यवसाय से हो तो निम्नलिखित अपेक्षाएं अनिवार्य होंगी:–

(क) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की समुचित शाखाओं में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी शाखा में महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जो पीएच०डी० उपाधि के समकक्ष माना जा सकता है और उपाचार्य/सहायक आचार्य के समकक्ष पद की स्थिति में न्यूनतम आठ वर्ष का औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव (जिसमें से पीएच०डी० के बाद दो वर्ष का अनुभव ऐच्छिक है):

परन्तु यह कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता तभी मान्य होगी जब उसे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी हो।

ऐच्छिक :

(क) किसी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक और/या व्यावसायिक अनुभव ;

(ख) पीएच०डी० के बाद प्रकाशित कार्य यथा शोध पत्रों, पैटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें और/या तकनीकी रिपोर्ट

(ग) स्नातकोत्तर/शोध छात्रों की शोध रचना/शोध प्रबन्ध अथवा उद्योग में अनुसंधान एवं विशेष योजनाओं में पर्यवेक्षण कार्य करना।

आचार्य

(क) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उपाधि के साथ पीएच०डी० उपाधि।

(ख) अध्यापन, शोध और/अथवा उद्योग में दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से सह आचार्य/उपाचार्य के स्तर पर अथवा समकक्ष ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

यदि अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से है, तो निम्नलिखित अपेक्षाएं अनिवार्य होंगी :–

(क) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, और

(ख) महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसको इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सम्बद्ध शाखा में पीएच०डी० उपाधि के समकक्ष मान्यता दी जा सकती है, दस वर्ष का औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव, और जिसमें कम से कम पाँच वर्ष वरिष्ठ स्तर के सह आचार्य/उपाचार्य के समकक्ष पद में हो :

परन्तु यह कि, महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता तभी वैध मानी जाएगी, जब उसे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा सर्वसहमति से संस्तुत किया गया हो।

(ग) शोध अनुभव की दशा में, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख एवं पुस्तकें/शोध पत्र/प्रकाशन/आई०पी०आर०/पेटेन्ट्स रिकार्ड, आवश्यक होंगे जैसा चयन समिति के विषय विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें, आवश्यक होंगे।

(घ) यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबन्धीय स्तर का होगा, जो ऐसे सह आचार्य के अनुभव के समतुल्य होगा जिसकी युक्ति निकालने/रूपरेखा प्रस्तुत करने, योजना बनाने, क्रियान्वयन करने, विश्लेषण करने, गुणवत्ता नियंत्रण, नवोन्मेषी, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंट, आदि जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाय, में सक्रिय सहभागिता हो।

(ङ) वास्तुकला के मामले में, वास्तुकला परिषद् द्वारा यथा प्रमाणित 10 साल का व्यावसायिक अभ्यास भी विधिक माना जाएगा।

ऐच्छिक :

(एक) किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में अध्यापन, शोध, औद्योगिक और/या व्यावसायिक अनुभव।

(दो) प्रकाशित रचना, हो यथा शोध प्रपत्र, जो पंजीकृत पैटेन्ट/उपलब्ध पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें।

(तीन) पीएच०डी० के छात्रों/स्नातकोत्तर/शोध छात्रों के परियोजना कार्य/शोध प्रबन्ध में मार्गदर्शन अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं में पर्यवेक्षण कार्य का अनुभव।

(चार) शैक्षणिक, शोध, औद्योगिक और/या व्यावसायिक गतिविधियों के नियोजन एवं संगठन कार्य में प्रत्यक्ष नेतृत्व।

(पाँच) प्रत्यायोजित शोध एवं विकास परामर्श एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व लेने/नेतृत्व करने की क्षमता।

(ज) **कम्प्यूटर अनुप्रयोग कार्यक्रम (कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन प्रोग्राम)–**

सहायक आचार्य

सुसंगत शाखा में प्रथम श्रेणी में बी0ई0/बी0टेक0 एवं एम0ई0/एम0टेक0 अथवा एवं उसके समकक्ष उपाधि।

अथवा

प्रथम श्रेणी में बी0ई0/बी0टेक0 एवं एम0सी0ए0 या इनमें से किसी के भी समकक्ष उपाधि।

अथवा

दो वर्ष के सुसंगत अनुभव सहित प्रथम श्रेणी में एम0सी0ए0 या उसके समकक्ष

सह आचार्य

(क) अर्हता उपरोक्तानुसार अर्थात् सहायक आचार्य के पद के लिए, जैसा लागू हो, और उपयुक्त शाखा में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष।

(ख) पीएच0डी0 पश्चात प्रकाशन एवं पीएच0डी0 के छात्रों का मार्गदर्शन कार्य अत्यन्त वांछनीय है।

(ग) अध्यापन/शोध/उद्योग में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव जिसमें दो वर्ष पीएच0डी0 पश्चात अनुभव वांछनीय है।

आचार्य

(क) अर्हता उपरोक्तानुसार अर्थात् सह आचार्य के पद के लिए जैसा लागू हो।

(ख) पीएच0डी0 पश्चात प्रकाशन एवं पीएच0डी0 छात्र निर्देशन।

(ग) न्यूनतम दस वर्ष का अध्यापन/शोध/औद्योगिक अनुभव जिसमें पाँच वर्ष सह आचार्य के स्तर पर अनुभव।

अथवा

शिक्षण और/या शोध और/या उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव

(घ) शोध अनुभव की दशा में, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख एवं पुस्तकें/शोध पत्र/प्रकाशन/आई0पी0आर0/पेटेन्ट्स रिकार्ड, आवश्यक होंगे जैसा चयन समिति के विषय विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें।

(ङ) यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो वह प्रबंधकीय स्तर का होगा, जो ऐसे सह आचार्य के अनुभव के समतुल्य होगा जिसकी युक्ति निकालने/रूपरेखा प्रस्तुत करने, योजना बनाने, क्रियान्वयन करने, विश्लेषण करने, गुणवत्ता नियंत्रण, नवोन्मेषी, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/ शोध पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंट, आदि जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाय, में सक्रिय सहभागिता हो।

(झ) **जैव प्रौद्योगिकी (इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी) शाखा–**

सहायक आचार्य

(क) जैव प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञान यथा माइक्रोबाइओलॉजी, बाइओकेमेस्ट्री, जेनेटिक्स बाइओलॉजी, फारमेसी और बाईओफिजिक्स में पीएच0डी0 उपाधि।

अथवा

(क) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा समकक्ष ग्रेड) के साथ उत्तम शैक्षणिक अभिलेख या किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

और

(ख) सहायक आचार्यों के पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा यू0जी0सी0, सी0एस0आइ0आर0 द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यू0जी0सी0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

ऐच्छिक :

(एक) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक अनुभव

(दो) सम्मेलनों और/अथवा निर्दिष्ट पत्रिकाओं में प्रस्तुत प्रपत्र।

सह आचार्य

(एक) अनिवार्य

(क) इंजीनिरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैव विज्ञानों में स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित पीएच0डी0 उपाधि तथा अध्यापन, शोध एवं/अथवा उद्योग में उसमें से प्राध्यापक/सहायक आचार्य के स्तर पर या समकक्ष ग्रेड में वह उस अवधि को छोड़कर जो शोध उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गयी हो आठ वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

यदि अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से हो, तो निम्न बातें अनिवार्य होंगी :–

(क) इंजीनिरिंग प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैव विज्ञानों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) ऐसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक रचना जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनप्रयुक्त शाखा में जैवीय विज्ञानों की सम्बद्ध शाखा में पीएच0डी0 के समकक्ष मान्य किया जा सके और औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव जो कि दस वर्ष का हो, जिसमें कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव उपाचार्य/सह आचार्य/रीडर के स्तर का हो;

परन्तु यह कि उस महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता तभी वैध मानी जाएगी, जब उसे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा सर्व सम्मति से संस्तुत किया गया हो।

(दो) ऐच्छिक :

(क) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक /अथवा व्यावसायिक अनुभव;

(ख) प्रकाशित रचना यथा शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/प्राप्त पुस्तकें और/या तकनीकी रिपोर्ट; और

(ग) परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/शोध प्रबन्ध जो स्नातकोत्तर स्तर की है/शोध छात्रों का मार्गदर्शन या शोध एवं विकास परियोजनाओं का उद्योग में पर्यवेक्षण कार्य।

आचार्य

(एक) अनिवार्य

(क) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/अनप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों में स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित पीएच0डी0 उपाधि तथा अध्यापन, शोध एवं/अथवा उद्योग में दस वर्ष का अनुभव हो उसमें से सह आचार्य/उपाचार्य या समकक्ष ग्रेड स्तर पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

अथवा

यदि अभ्यर्थी उद्योग एवं व्यवसाय से हो, तो निम्नलिखित बातें अनिवार्य होंगी :–

(क) इंजीनिरिंग प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैव विज्ञानों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) ऐसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक रचना जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की सम्बद्ध शाखा में पीएच0डी0 के समकक्ष मान्य किया जा सके और औद्योगिक/व्यावसायिक

अनुभव जो कि दस वर्ष का हो, जिसमें कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव उपाचार्य/सह आचार्य/रीडर के स्तर का हो :

परन्तु यह कि उस महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता तभी विधिक मानी जाएगी, जब उसे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा सर्व सम्मति से संस्तुत किया गया हो।

(दो) ऐच्छिक :

(क) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक और/ अथवा व्यावसायिक अनुभव।

(ख) प्रकाशित रचना यथा शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/प्राप्त पुस्तकें और/या तकनीकी रिपोर्ट, और

(ग) परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/शोध प्रबन्ध जो स्नातकोत्तर स्तर की है/शोध छात्रों का मार्गदर्शन या शोध एवं विकास परियोजनाओं का उद्योग में पर्यवेक्षण कार्य।

(घ) शैक्षिक शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने में नियोजन तथा संयोजन का स्पष्ट नेतृत्व।

(ङ) प्रत्यायोजित शोध एवं विकास परामर्श एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व लेने/नेतृत्व करने की क्षमता।

(ट) **भेषजी संकाय**

सहायक आचार्य

(क) भेषजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में समकक्ष; और

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित भेषजी अधिनियम, 1948, जिसके अन्तर्गत अग्रवर्ती अधिनियम भी हैं, के अंतर्गत एवं फार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकरण।

ऐच्छिक :

(क) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध-औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक स्तर पर अनुभव, और

(ख) सम्मेलनों में प्रस्तुत/अथवा संदर्भित पत्रिकाओं में प्रस्तुत।

सह आचार्य

(एक) अनिवार्य

(क) अर्हता उपरोक्तानुसार अर्थात् सहायक आचार्य के पद के लिए, जैसा लागू हो; और,

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित भेषजी अधिनियम, 1948 जिसके अन्तर्गत अग्रवर्ती अधिनियमन भी हैं, के अंतर्गत एक फार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकरण।

(ग) पीएच०डी० उपाधि एवं प्राध्यापक अथवा समकक्ष ग्रेड के स्तर पर अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक रुप में उसमें से उस अवधि को छोड़कर जो कि शोध उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई थी 8 वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

यदि अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से है तो निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य होंगी :-

(क) फार्मेसी में विशेषज्ञता की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ख) ऐसा महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे फार्मेसी को विशेषज्ञता वाली किसी शाखा में पीएच०डी० के समकक्ष मान्यता दी जाए और इसके साथ औद्योगिक व्यावसायिक अनुभव, जो प्राध्यापक/सहायक आचार्य स्तर के समकक्ष का हो और 8 वर्ष की अवधि का हो :

परन्तु यह कि उस महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता तभी विधिक मानी जाएगी जब उसे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुत किया गया हो।

(दो) ऐच्छिक :

(क) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक अनुभव;

(ख) पीएच0डी0 पश्चात् प्रकाशित रचना यथा शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें एवं/तकनीकी रिपोर्टें तथा पीएच0डी0 के छात्रों का मार्ग दर्शन अत्याधिक वांछनीय है; और

(ग) पीएच0डी0 के छात्रों के मार्गदर्शन का अनुभव जिसके अन्तर्गत स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के शोध प्रबन्ध में मार्ग दर्शन भी है, परियोजना कार्य अथवा उद्योग में शोध विकास परियोजना का पर्यवेक्षण का अनुभव।

आचार्य

(एक) अनिवार्य

(क) अर्हता उपरोक्तानुसार, अर्थात् सह आचार्य के पद के लिए जैसा लागू हो; और

(ख) अध्यापन, शोध, उद्योग एवं/अथवा व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो जिसमें न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि प्राध्यापक/सह आचार्य अथवा समकक्ष ग्रेड के स्तर पर रही हो।

अथवा

यदि अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से है तो निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य होंगी:—

(क) फार्मेसी में विशेषज्ञता की/उपयुक्त शाखा में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उपाधि; और

(ख) ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जिसे फार्मेसी की विशेषज्ञता वाली किसी शाखा में पीएच0डी0 समकक्ष मान्यता दी जाए और इसके साथ 5 वर्ष का औद्योगिक या व्यावसायिक अनुभव जो वरिष्ठ स्तर से हो तथा तुलनात्मक रूप से सह आचार्य/उपाचार्य के स्तर का हो :

परन्तु यह कि उस महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता तभी विधिक मानी जाएगी जब उसे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुत किया गया हो।

(दो) ऐच्छिक :

(क) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक अनुभव।

(ख) पीएच0डी0 पश्चात् प्रकाशित रचना यथा शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें एवं/अथवा तकनीकी रिपोर्टें।

(ग) पीएच0डी0 के छात्रों शोध छात्रों के मार्गदर्शन का अनुभव जिसके अन्तर्गत स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के परियोजना कार्य शोध प्रबन्ध में मार्गदर्शन अथवा उद्योग में शोध व विकास परियोजना का पर्यवेक्षण भी है ;

(घ) शैक्षणिक, शोध, औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के नेतृत्व का प्रत्यक्ष प्रदर्शन एवं संयोजन एवं ;

(ङ) समर्थित शोध एवं विकास कार्यों, परामर्श से संबद्ध कार्यों की एवं सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व उठाने/नेतृत्व करने की क्षमता।

टिप्पणी : किसी भी संदेह के निराकरण के लिए एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि :—

(क) यदि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तरों पर, वर्ग अथवा श्रेणी घोषित नहीं किए गए हैं तो >=60% का समुच्चय अथवा संचयी ग्रेड पॉइन्ट औसत (सी.जी.पी.ए.) को ही प्रथम श्रेणी के समकक्ष माना जाएगा।

(ख) एक ऐसी स्थिति जिसमें कि एक 10 पॉइन्ट स्केल पर अभ्यर्थियों को सी.जी.पी.ए. प्रदान होता है तो सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा एक समतुल्यता तालिका उपलब्ध कराई जाएगी — जिसका अनुसरण, उनके द्वारा प्राप्त श्रेणी का निर्धारित करने के लिए उपरोक्त (क) के अनुसार किया जायेगा।

(ठ) होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी शाखा

सहायक आचार्य

प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि (10+2 के पश्चात होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग में 03 वर्षीय उपाधि या डिप्लोमा) अथवा समकक्ष एवं प्रथम श्रेणी या समतुल्य में होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में परास्नातक डिग्री अथवा 08 वर्ष का सुसंगत अनुभव

अथवा

प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि होटल मैनेजमेंट में 04 वर्षीय डिग्री अथवा समकक्ष एवं प्रथम श्रेणी या समतुल्य में होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में परास्नातक डिग्री अथवा 07 वर्ष का सुसंगत अनुभव

सह आचार्य

(क) अर्हता उपरोक्तानुसार अर्थात् सहायक आचार्य के पद के लिए, जैसा लागू हो; और

(ख) उपयुक्त शाखा में पीएच0डी0 उपाधि या समतुल्य;

(ग) पीएच0डी0 पश्चात् प्रकाशन तथा पीएच0डी0 छात्रों का मार्ग दर्शन अत्यन्त वांछनीय है;

(घ) शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव जिसमें 02 वर्ष पीएच0डी0 पश्चात अनुभव वांछनीय है।

आचार्य

(क) अर्हता उपरोक्तानुसार अर्थात् सहायक आचार्य के पद के लिए लागू हो, और

(ख) पीएच0डी0 पश्चात प्रकाशन तथा पीएच0डी0 छात्रों का मार्ग दर्शन।

(ग) शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 05 वर्ष का अनुभव सह आचार्य के स्तर पर हो।

अथवा

न्यूनतम 13 वर्ष का शिक्षण एवं/अथवा/शोध एवं/अथवा उद्योग में अनुभव

(घ) शोध अनुभव की दशा में उत्तम शैक्षणिक अभिलेख एवं पुस्तकें/शोध पत्र प्रकाशन/आई0पी0आर0/पेटेन्ट रिकार्ड आवश्यक होंगे, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य द्वारा उचित समझा जाय।

(ङ) यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो वह प्रबन्धकीय स्तर का होगा, जो ऐसे सह आचार्य के अनुभव के समतुल्य होगा जिसकी युक्ति निकालने/रूपरेखा प्रस्तुत करने, योजना बनाने, क्रियान्वयन करने, विश्लेषण करने, गुणवत्ता नियंत्रण, नवोन्मेषी, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंट आदि, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाय, में सक्रिय सहभागिता हो।

प्राचार्य/निदेशक/संस्था प्रधान/संकायाध्यक्ष (व्यवसाय प्रशासन, इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, होटल एवं मैनेजमेंट एवं कैटरिंग, फार्मेसी एवं फाइन आर्टस)

(क) अर्हता वही होगी जो सुसंगत शाखा में आचार्य के पद के लिए विहित एवं साथ में 15 वर्ष का परास्नातक अध्यापन/उद्योग/शोध का अनुभव जिसमें से पाँच वर्ष आचार्य के स्तर पर अथवा अध्यापक/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।

अथवा

यदि अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से है तो निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य होंगी :–

(क) अर्हता वही होगी जो सुसंगत शाखा में उद्योग/व्यवसाय शाखा से आचार्य के पद के लिए विहित है, साथ में 15 वर्ष का परास्नातक शिक्षण/शोध का अनुभव, जिसमें से सुसंगत शाखा में पाँच वर्ष आचार्य के रूप में ।

(ख) उपयुक्त शाखा में ऐसा महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे पीएच0डी0 के समकक्ष मान्यता दी जाय एवं औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव 15 वर्ष का हो जिसमें से 05 वर्ष आचार्य के रूप मे हो अथवा न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव शिक्षण/शोध/उद्योग में हो :

परन्तु यह कि उस महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता तभी विधि मानी जाएगी जब उसे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुत किया गया हो।

(ग) शोध अनुभव की दशा में अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख एवं पुस्तकें/शोध पत्र/प्रकाशन/आई0पी0आर0/पेटेन्ट रिकार्ड आवश्यक होंगे जैसा चयन समिति के विषय विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें।

(घ) यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो वह प्रबन्धकीय स्तर का होगा, जो ऐसे सह आचार्य के अनुभव के समतुल्य होगा जिसका युक्ति निकालने/रूपरेखा प्रस्तुत करने, योजना बनाने, क्रियान्वयन करने, विश्लेषण करने, गुणवत्ता नियंत्रण, नवोन्मेषी, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/आईपीआर/ पेटेंट, आदि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाय, में सक्रिय सहभागिता हो।

(ङ) स्वभावगत प्रबन्धन एवं नेतृत्व अनिवार्य है।

ऐच्छिक :

(क) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक अनुभव।

(ख) पीएच0डी0 पश्चात् प्रकाशित रचना यथा शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें एवं/अथवा तकनीकी रिपोर्ट।

(ग) पीएच0डी0 के छात्रों के मार्गदर्शन, परियोजना कार्य में मार्गदर्शन अथवा उद्योग में शोध व विकास परियोजना के पर्यवेक्षण का अनुभव।

(घ) संयोजन एवं शैक्षणिक, शोध, औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के नेतृत्व का प्रत्यक्ष प्रदर्शन; एवं

(ङ) समर्थित शोध एवं विकास कार्यों, परामर्श से संबद्ध कार्यों की एवं सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व उठाने/नेतृत्व करने की क्षमता।

(ङ) शिक्षाशास्त्र संकाय

1–बी0एड0 अथवा एम0एड0 पाठ्यक्रमों के लिए

सहायक आचार्य

(क) आधार पाठ्यक्रम

(क) 50 प्रतिशत अंक सहित विज्ञान/मानविकी/कला में स्नातकोत्तर उपाधि;

(ख) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक सहित अथवा समकक्ष ग्रेड में एम0एड0 उपाधि;

(ग) जैसा उप परिनियम 11.12.01 एवं 11.12.02 में विहित है।

अथवा

(क) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक सहित अथवा समकक्ष ग्रेड सहित शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर;

(ख) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड सहित बी0एड0 ; तथा

(ग) जैसा कि उप परिनियम 11.12.01 एवं 11.12.02 में विहित है।

(ख) प्रणाली विज्ञान पाठ्यक्रम

(क) स्कूली विषय में 50 प्रतिशत अंक सहित अथवा इसके समकक्ष ग्रेड में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित अथवा इसके समकक्ष ग्रेड सहित में एम0एड0 उपाधि; और

(ग) जैसा कि परिनियम 11.12.01 एवं 11.12.02 में विहित है।

(घ) कोई अन्य शर्त जो यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय, अनिवार्य होगी।

(ग) कला शिक्षा (ललित कला/परफार्मिंग आर्ट)

55 प्रतिशत अंक सहित ललित कला/संगीत में अंशकालिक रूप से अध्ययन करके प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि

(घ) शारीरिक शिक्षा में अंशकालिक प्राध्यापक

55 प्रतिशत अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि।

टिप्पणी (1) कम से कम एक सहायक आचार्य के पास आई0सी0टी0 में और दूसरे को विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

(2) एक संकाय सदस्य के पास मनोविज्ञान में और दूसरे सदस्य के पास एम0एड0 के अतिरिक्त दर्शनशास्त्र/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि होना वांछनीय है।

सह आचार्य

(क) कला/मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि एवं एम0एड0 में से, प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो अथवा समकक्ष ग्रेड एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) अथवा एवं बी0एड0, प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो।

(ख) शिक्षाशास्त्र में पीएच0डी0; तथा।

(ग) विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र विभाग अथवा शिक्षाशास्त्र महाविद्यालय में न्यूनतम 08 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 03 वर्ष एम0एड0 स्तर पर हो एवं उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रकाशित कार्य।

टिप्पणी — एक संकाय सदस्य के पास मनोविज्ञान में और दूसरे सदस्य के पास एम0एड0 के अतिरिक्त दर्शनशास्त्र/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि होना वांछनीय है।

आचार्य/विभागाध्यक्ष

(क) कला/मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि एवं एम0एड0 में से प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो

अथवा

(क) समकक्ष ग्रेड एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) अथवा एवं बी0एड0, प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो।

(ख) शिक्षाशास्त्र में पीएच0डी0 तथा

(ग) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अथवा शिक्षाशास्त्र महाविद्यालयों में न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि एम0एड0 स्तर पर हो तथा उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रकाशित कार्य।

टिप्पणी— यदि उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार आचार्य/विभागाध्यक्ष/सह आचार्य की नियुक्ति के लिए सुपात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस बात की अनुमति रहेगी कि किसी भी सेवानिवृत्त आचार्य/विभागाध्यक्ष/सह आचार्य की संविदा के आधार पर नियुक्ति कर ली जाय जो एक समय में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी और नियुक्ति तब तक होती रहेगी जब तक अभ्यर्थी द्वारा सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली जाय।

2–बी0पी0एड0 एवं एम0पी0एड0 हेतु

सहायक आचार्य

(क) शारीरिक शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित अथवा इसके समकक्ष ग्रेड में स्नातकोत्तर उपाधि; और।

(ख) कोई अन्य शर्त जो यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय, अनिवार्य होगी।

खेल प्रशिक्षक

(क) शारीरिक शिक्षा बी0पी0एड0, बी0एस0सी0 (शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्पोर्टस) में स्नातक उपाधि एवं विनिर्दिष्ट खेलों में से कम से कम एक खेल विशेष में विशेषज्ञता आवश्यक अर्हता होगी।

(ख) कोचिंग में डिप्लोमा वांछनीय होगा।

सह आचार्य

(क) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक सहित अथवा समकक्ष ग्रेड में शारीरिक शिक्षा या किसी सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि

(ख) शारीरिक शिक्षा के विभाग/महाविद्यालय में न्यूनतम 08 वर्ष का अध्यापन/शोध का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापन का हो एवं शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य

आचार्य

(क) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक सहित अथवा समकक्ष ग्रेड में शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य।

(ग) शारीरिक शिक्षा के किसी विभाग/महाविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन/शोध का अनुभव हो जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव किसी स्नातकोत्तर स्तर के संस्थान/विश्वविद्यालय के विभाग में अध्यापन का हो।

टिप्पणी– यदि उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार सुपात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो इस बात की अनुमति रहेगी कि शारीरिक शिक्षा के किसी भी सेवानिवृत्त आचार्य/सह आचार्य को संविदा के आधार पर नियुक्त कर दिया जाये जो एक समय में एक वर्ष से अधिक की अवधि की नहीं होगी और नियुक्ति तब तक होती रहेगी जब तक अभ्यर्थी द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा की सेवा में सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली जाय।

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

(क) शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित अथवा समकक्ष ग्रेड में स्नातकोत्तर उपाधि

(ख) शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 अथवा शारीरिक शिक्षा में समकक्ष प्रकाशित कार्य, और

(ग) 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव जिसमें से शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालयों में 05 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो।

टिप्पणी– यदि उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार सुपात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो इस बात की अनुमति रहेगी कि शारीरिक शिक्षा के सेवानिवृत्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष को संविदा के आधार पर नियुक्त कर दिया जाये जिसकी अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी और नियुक्ति तब तक होती रहेगी जब तक कि अभ्यर्थी द्वारा सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली जाय।

11.13.05 पुस्तकालय संवर्ग में भर्ती

पुस्तकालयाध्यक्ष

(क) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखीकरण में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा इसके समकक्ष "बी" ग्रेड जो कि यू0जी0सी0 7 पॉइन्ट स्केल में हो तथा अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख,

(ख) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में न्यूनतम 13 वर्ष का उप–पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अनुभव अथवा महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 18 वर्ष का अनुभव;

(ग) नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का एवं प्रकाशित रचनाओं को सुव्यवस्थित रखने का प्रमाण

वांछनीय : पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखीकरण में/पुरालेखों में एक एम0फिल0/पी0एच0डी0 उपाधि एवं पाण्डुलिपियों के रख–रखाव/पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण।

उप–पुस्तकालयाध्यक्ष

(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखीकरण में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा यू0जी0सी0 7 पाइन्टों के स्केल के अंतर्गत ग्रेड "बी" अथवा इसके समकक्ष ग्रेड तथा अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

(ख) सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव।

(ग) नवोन्मेषी पुस्तकालय से जुड़ी सेवाओं, एवं प्रकाशित रचनाओं का व्यवस्थापना एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का प्रमाण।

वांछनीय : पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखीकरण/पुरालेखों में एम0फिल0/पी0एच0डी0 उपाधि तथा पाण्डुलिपियों का रख–रखाव/लाइब्रेरी का कम्प्यूटरीकरण।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष /महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष

(क) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखीकरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा कोई समकक्ष व्यावसायिक उपाधि जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) तथा अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख एवं सक्षम लाइब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी भी हो।

(ख) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो यू0जी0सी0 द्वारा अथवा यू0जी0सी0 द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा उक्त प्रयोजन से आयोजित की गयी हो, में अर्हता प्राप्त करना।

(ग) ऐसे प्रत्याशी जो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार यह मिली है, को नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की वांछित शर्तों से छूट होगी।

11.14 **वृत्ति प्रोन्नति योजना**

11.14.01 वृत्ति प्रोन्नति योजना विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों और पुस्तकालय संवर्ग पर लागू है जो शिक्षक दिनांक 30 जून, 2010 के पूर्व प्रवृत्त वृत्ति प्रोन्नति योजना के अधीन ज्येष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/उपाचार्य (उन्नति)/आचार्य (उन्नति) के लिए पात्र हो गये हैं, उन पर पूर्व निर्मित परिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

11.14.02. सी०ए०एस० प्रोन्नति में भूतलक्षी प्रभाव से सूचना को एकत्र करने और इन परिनियमों के क्रियान्वयन में कठिनाईयों को समाप्त करने के उपाय के रूप में ए०पी०आई० आधारित पी०बी०ए०एस० को प्रगामी और भविष्य लक्षी प्रभाव से शुरू किया जाएगा। तदनुसार, जैसा कि इन सारणियों में उल्लिखित है, श्रेणी एक और दो के ए०पी०आई० के अंकों के आधार पर पी०बी०ए०एस० को एक वर्ष के लिए क्रियान्वित करना है; प्रारम्भिक रूप से विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की वर्तमान प्रणाली के आधार पर सारणी–दो (क) और दो (ख) में वर्णित न्यूनतम वार्षिक अंक प्राप्त करना विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा। जैसे ही और जब भी कोई शिक्षक अगले संवर्ग में सी०ए०एस० पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएँ, वर्षीयकृत ए०पी०आई० अंको को प्रगामी रूप से सहयोजित किया जा सकता है।

इस प्रकार यदि किसी शिक्षक के संबंध में 2011 की सी०ए०एस० पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो केवल 2010–11 के ए०पी०आई० के अंकों की मूल्यांकन हेतु आवश्यकता होगी। किसी शिक्षक के 2012 में सी०ए०एस० पदोन्नति पर विचार के मामले में इन श्रेणियों के दो वर्षों के ए०पी०आई० अंको के औसत की आवश्यकता मूल्यांकन और अन्य कार्यो के लिए होगी जिससे अवधि का संपूर्ण मूल्यांकन प्रभावी रूप से होगा। श्रेणी तीन (शोध और शैक्षणिक योगदान) के लिए ए०पी०आई० के अंक इस श्रेणी हेतु पूर्ण मूल्यांकन अवधि के लिए लागू होंगे।

11.14.03. सी०ए०एस० के अंतर्गत पदोन्नति के लिए विचार किये जाने हेतु इच्छुक शिक्षक को निर्धारित तिथि से तीन माह पूर्व अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को लिखित रूप में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करना होगा कि वह सी०ए०एस० के अंतर्गत सभी अर्हताएँ पूरी करता/करती है और उसे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रोफार्मा प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ ए०पी०आई० के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्यय–पत्र प्रस्तुत करना होगा। सी०ए०एस० के अधीन विभिन्न स्थितियों में चयन समिति की बैठक आयोजित करने में विलंब से निपटने के लिए विश्वविद्यालय और कालेज तुरंत छानबीन/चयन समिति की प्रक्रिया प्रारम्भ करे तथा आवेदन की तिथि से छह माह के भीतर प्रक्रिया को पूर्ण करे।

11.14.04. परिशिष्ट घ की सारणी–दो (क और ख) के परिनियमों में प्रस्तावित ए०पी०आई० अंको की व्यवस्था के अधीन न्यूनतम आवश्यक अंक न पाने वाले अभ्यर्थी या ऐसे अभ्यर्थी जो चयन प्रक्रिया के विशेषज्ञता मूल्यांकन में 50 प्रतिशत से कम अंक पाते हैं, उनका न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद पुनः मूल्यांकन किया जाए। पदोन्नति की तिथि वह होगी जिस तिथि को वह पुनः मूल्यांकन में सफल हो जाता/जाती है।

11.14.05. सहायक आचार्य के निम्नतर ग्रेड से उच्चतर ग्रेड पर सी०ए०एस० पदोन्नति "छानबीन सह मूल्यांकन समिति" द्वारा परिशिष्ट–घ की तालिका में बी०पी०ए०एस० में ए०पी०आई० अंक के रूप में निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए की जाएगी।

11.14.06. एक ए०जी०पी० से दूसरे उच्चतर ए०जी०पी० में सहायक आचार्य के सी०ए०एस० पदोन्नति हेतु "छानबीन–सह मूल्यांकन समिति" में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे–

विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए:

(एक) कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में;

(दो) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष;

(तीन) विभागाध्यक्ष; और

(चार) विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय में एक विषय विशेषज्ञ।

महाविद्यालय शिक्षकों के लिए:

(राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों से भिन्न अन्य महाविद्यालय)

(एक) निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उसका नामिती जो राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से निम्न स्तर का न हो।	अध्यक्ष
(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य–संयोजक
(तीन) प्रबन्धतंत्र का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य	सदस्य
(चार) विशेषज्ञों के पैनल में नामित सम्बन्धित विषय के दो विषय विशेषज्ञ	सदस्य

राजकीय महाविद्यालयों के लिए

(एक) निदेशक, उच्च शिक्षा	अध्यक्ष
(दो) कुलपति द्वारा विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय के दो विषय विशेषज्ञ।	सदस्य
(तीन) निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा एक विषय नामिति (जो महाविद्यालय के प्राचार्य से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(चार) महाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य–संयोजक

11.14.07. उपर्युक्त दोनों श्रेणियों की इन समितियों की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी जिसमें विषय विशेषज्ञ/विश्वविद्यालय के नामिती को उपस्थित होना आवश्यक होगा।

11.14.08. इन परिनियमों पर आधारित संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार पी0बी0ए0एस0 प्रणाली के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त ए0पी0आई0 के सत्यापन/मूल्यांकन और सहायक आचार्य के प्रत्येक संवर्ग की तालिका–दो और तीन, में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 'छानबीन–सह–मूल्यांकन' समिति विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्/प्रबंध समिति से सिफारिश करेगी।

11.14.09. उपर्युक्त सभी चयन प्रक्रिया चयन समिति की बैठक के दिन ही पूर्ण की जाएंगी, जिसमें पी0बी0ए0एस0 अंक प्रारूप एवं योग्यता के आधार पर की गई सिफारिशों सहित कार्यवृत्त को अभिलिखित किया जायगा और कार्यवृत्त पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

11.14.10. सी0ए0एस0 की प्रोन्नति, पदधारी शिक्षक की वैयक्तिक प्रोन्नति है, उसके द्वारा मूल पद धारण करने के सापेक्ष उक्त पदधारी विशेष की उक्त पद अधिवर्षिता पर मूल संवर्ग में वापस चला आएगा।

11.14.11. यदि अभ्यर्थी सम्यक् ए0पी0आई0 प्रणाली में निर्दिष्ट न्यूनतम ए0पी0आई0 अंक की पात्रता पूरी करते हैं, तो वे स्वयं प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन के लिए अपेक्षित पी0बी0ए0एस0 प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करें। यदि वे स्वयं को पात्र समझते हैं तो वे निर्धारित तिथि से तीन महीने पहले ऐसा कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं को पात्र नहीं समझते हैं, वे भी बाद की तारीख में आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय पात्र अभ्यर्थियों से सी0ए0एस0 प्रोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए वर्ष में दो बार सामान्य परिपत्र जारी करेगा।

11.14.12. अंतिम मूल्यांकन में यदि कोई अभ्यर्थी पी0बी0ए0एस0 प्रारूप के मानदंडों के अंतर्गत न्यूनतम ए0पी0आई0 अंकों के मानक को पूरा नहीं करता है या विशेषज्ञों के मूल्यांकन में 50 प्रतिशत से कम पाता है, तो जहाँ कहीं भी लागू हो, ऐसे अभ्यर्थी का पुनर्मूल्यांकन कम से कम एक वर्ष की अवधि के बाद होगा।

11.14.13. (क) यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम पात्रता अवधि पूर्ण होने के बाद आवेदन करता है और सफल हो जाता है तो पदोन्नति की तिथि पात्रता की न्यूनतम अवधि से होगी।

(ख) तथापि यदि अभ्यर्थी को पता चलता है कि वह बाद की तिथि से अर्हता की शर्त पूरी करता है/करती है और उस तिथि को आवेदन करता/करती है और सफल हो जाता/हो जाती है तो उसका/उसकी पदोन्नति अर्हता पूरी करने की तारीख से लागू होगी।

(ग) यदि अभ्यर्थी पहले मूल्यांकन में सफल नहीं होता किन्तु अंतिम मूल्यांकन में सफल होता है तो उसकी पदोन्नति सफलता पूर्ण मूल्यांकन वाली बाद की तिथि से मानी जाएगी।

वृत्ति प्रोन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के चरण।

11.14.14. प्रवेश स्तर पर सहायक आचार्य (चरण–एक) वृत्ति प्रोन्नति योजना (सीएएस) के अंतर्गत दो क्रमिक चरणों (चरण दो और चरण तीन) के माध्यम से पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते पात्रता और कार्य निष्पादन मानदंड, जैसा कि निर्धारित है, के अनुरूप उनका मूल्यांकन किया जाए।

11.14.15. प्रवेश स्तर पर सहायक आचार्य, जिनके पास सुसंगत विषय में पीएच०डी० की डिग्री है, चार वर्ष के सहायक आचार्य की सेवा के बाद अगले उच्चतर ग्रेड (चरण–2) में जाने के लिए पात्र होंगे।

11.14.16. प्रवेश के स्तर पर सहायक आचार्य जिन्होंने एम०फिल० उपाधि या सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, यथा एल०एल०एम०/एम०टेक० आदि परास्नातक डिग्री ली है, सहायक आचार्य के रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद अगले उच्चतर ग्रेड (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे।

11.14.17. प्रवेश के स्तर पर सहायक आचार्य जिनके पास संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पीएच०डी० या एम०फिल० या स्नातकोत्तर उपाधि नहीं है, सहायक आचार्य के रूप में छह वर्ष की सेवा के बाद अगले उच्चतर ग्रेड (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे।

11.14.18. सभी सहायक आचार्यों के लिए प्रवेश स्तर ग्रेड (चरण–एक) से अगले उच्चतर ग्रेड (चरण–दो) में पहुंचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित ए०पी०आई० आधारित पी०बी०ए०एस० की शर्तों के अधीन होगा।

11.14.19. सहायक आचार्य, जिन्होंने दूसरे ग्रेड (चरण–दो) में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण की है, वे अगले उच्च ग्रेड (चरण–तीन) में पदोन्नत होंगे, जो इस परिनियम पर निर्धारित ए०पी०आई० आधारित पी०बी०ए०एस० की शर्तों के समाधान करने के अधीन होगा।

11.14.20. सहायक आचार्य, जिन्होंने तीसरे ग्रेड (चरण–तीन) में तीन वर्ष का शिक्षण कार्य पूर्ण किया है, वे अगले उच्चतर ग्रेड (चरण–चार) में पदोन्नति के पात्र होंगे और सह–आचार्य के रूप में पदाभिहित होंगे जो अर्हता की शर्तों और इन परिनियमों में निर्धारित पी०बी०ए०एस० आवश्यकताओं पर आधारित ए०पी०आई० के अधीन होगा।

11.14.21. सह आचार्य, जिन्होंने चौथे चरण में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण की है और सुसंगत विषय में पीएच०डी० की डिग्री प्राप्त की है, आचार्य के रूप में नियुक्त और पदाभिहित किये जाने के पात्र होंगे और उन्हें अगले उच्चतर ग्रेड (चरण–पाँच) में रखा जाएगा, जो –

(क) इन परिनियमों में निर्धारित परिशिष्ट–ज तालिका एक से तीन में दिए गए पी०बी०ए०एस० प्रणाली के आधार पर ए०पी०आई० के आधारित अपेक्षित क्रेडिट प्वाइन्ट को पूरा करता हो; और

(ख) जैसा कि आचार्य की सीधी भर्ती के लिए सुझाव दिया गया है, विधिवत गठित चयन समिति द्वारा मूल्यांकन को पूरा करता हो :

परन्तु यह कि पीएच०डी० धारक शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक को आचार्य पद पर पदोन्नति या नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

11.14.22. विश्वविद्यालय में आचार्यों के दस प्रतिशत स्थान हेतु ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने आचार्य के रूप में पूर्व संशोधित या संशोधित वेतनमान में कम से कम दस वर्ष की सेवा की, आचार्य के उच्चतर ग्रेड (चरण–छह) में पदोन्नति के पात्र होंगे बशर्ते वे विधिवत् गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा इन परिनियमों में निर्धारित पी०बी०एस० प्रणाली के माध्यम से तालिका–एक और दो में दिए गए अपेक्षित ए०पी०आई० अंकों को पूरा करते हों और उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत होने वाले ऐसे शिक्षक 'आचार्य' के रूप में पदाभिहित किए जाते रहेंगे। चूंकि आचार्य के लिए यह एजी०पी० मूल्यांकन केवल विश्वविद्यालय के विभागों के लिए लागू है इसलिए अतिरिक्त प्रत्यय–पत्र के साथ निम्न साक्ष्य होना चाहिए–

(क) उच्च स्तर का पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान कार्य ;

(ख) अवार्ड/सम्मान/और मान्यता;

(ग) अतिरिक्त अनुसंधान उपाधियाँ यथा डी०एससी०, डी०लिट०, एलएल०डी० आदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षक के मामले में उत्पादों का पेटेन्ट्स और आई०पी०आर० एवं स्थापित प्रक्रिया/अंतरित की गई प्रौद्योगिकी।

यह चयन विश्वविद्यालय द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर पात्र आचार्यों द्वारा विधिवत् भरे पी०बी०ए०एस० प्रारूप प्राप्त होने के बाद प्रत्येक संकाय में उपलब्ध संख्या का तीन गुना आवेदन के आधार पर किया जाएगा। यदि उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों के तीन गुने से कम है तो विचार का आधार वास्तव में उपलब्ध अभ्यर्थी होंगे। जैसाकि परिशिष्ट–ज की सारणी–दो (क) में निर्धारित है, विश्वविद्यालय के विभागों के शिक्षकों के लिए सभी प्रस्तुत प्रत्यय–पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी। इस श्रेणी के लिए अलग से साक्षात्कार आवश्यक नहीं है।

11.14.23. संकाय के शिक्षकों के वेतनमान और अन्य गुणदोष आधारित कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में गुणदोष के संदर्भ में प्रत्येक अभ्यर्थी से बातचीत करते समय उन लोगों को अग्रिम वेतन वृद्धि देने का विवेकपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय से संबंधित सक्षम प्राधिकारी या चयन समिति (यों) की सिफारिश के आधार पर भर्ती करने वाले संस्थान का होगा जो सह–आचार्य या आचार्य के पेशे में उच्च योग्यता, बड़ी संख्या में अनुसंधान प्रकाशन और सम्यक् स्तर पर अनुभव रखते हैं। विवेक के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि देना उन पर लागू नहीं होगा जो सहायक आचार्य और खेल–कूद में हैं और वे लोग जिन्होंने पीएच०डी०, एम०फिल०, एम०टेक० आदि की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि मिलती है। तथापि, वे लोग जो सहायक आचार्य की सेवा में पी०एच०डी० के बाद पोस्ट डाक्टोरल शिक्षा/अनुसंधान अनुभव के साथ आए हों तथा जिनका प्रमाणित प्रत्यय पत्र हो, वे अग्रिम वेतन वृद्धि विवेकपूर्ण अवार्ड के पात्र होंगे और इस संबंध में निर्णय को चयन समिति के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाए।

पुस्तकालय संवर्ग के लिए वृत्ति प्रोन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के चरण

11.14.24. प्रवेश के स्तर पर विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में पीएच०डी० की है, निम्नतम ग्रेड में चार वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, यदि अन्यथा वे ए०पी०आई० अंक प्रणाली और पी०बी०ए०एस० पद्धति के अनुसार पात्र हैं, तो अगले उच्चतर ग्रेड के लिए पात्र होंगे।

11.14.25. प्रवेश के स्तर पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कालेज के पुस्तकालयाध्यक्ष जो पुस्तकालय विज्ञान में एम०फिल० हैं परन्तु जिन्होंने पुस्तकालय विषय में पीएच०डी० नहीं की है, निम्न संवर्ग में पाँच वर्षोंकी सेवा पूरी करने के बाद, यदि अन्यथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन परिनियमों में निर्धारित ए०पी०आई० अंक प्रणाली और पी०बी०ए०एस० पद्धति के अनुसार पात्र हैं, तो अगले ग्रेड (चरण–दो) के पात्र होंगे।

11.14.26. प्रवेश स्तर के ग्रेड पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कालेज के पुस्तकालयाध्यक्ष, जिन्होंने संबंधित विषयों में पी०एच०डी० या एम०फिल० नहीं की है, निम्न ग्रेड में छः वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, यदि अन्यथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन परिनियमों में निर्धारित ए०पी०आई० अंक प्रणाली और पी०बी०ए०एस० पद्धति के अनुसार पात्र हैं, तो अगले ग्रेड (चरण–तीन) के पात्र होंगे।

11.14.27. पाँच वर्षों की सेवा पूर्ण करने के बाद सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कालेज के पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/ समकक्ष पदों के योग्य और अगले उच्चतर ग्रेड (चरण–तीन) में रखे जाएंगे बशर्ते वे इन परिनियमों में सी०ए०एस० पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पी०बी०ए०एस० पद्धति के आधार पर ए०पी०आई० अंक प्रणाली की पात्रता की अन्य शर्तें (यथा उप–पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पीएच०डी० आदि) पूरी करते हों। उन्हें उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/कालेज के पुस्तकालय (चयन ग्रेड), जैसी स्थिति हो, के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

11.14.28. उक्त संवर्ग में तीन वर्ष पूरा करने के बाद उप पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष पद अगले ग्रेड (चरण–चार) में जाएंगे जो कि इन परिनियमों में सी०ए०एस० पदोन्नति के लिए पी०बी०ए०एस० पद्धति के आधार पर ए०पी०आई० अंक प्रणाली की अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा।

वृत्ति प्रोन्नति योजना के विविध उपबन्ध

11.14.29. चयन समिति के सदस्यों को नोटिस के प्रेषण के दिनांक से गणना करने के उपरांत बैठक के कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दी जायेगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा की जायेगी।

11.14.30 अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक के कम से कम 15 दिन पूर्व, जिसकी गणना नोटिस प्रेषण के दिनांक से की जायेगी, नोटिस दी जायेगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा की जायेगी।

11.14.31 वृत्ति प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत चयन ग्रेड में रखे गये या सह आचार्य या आचार्य के रूप में पदोन्नत सहायक आचार्य का कार्यभार पूर्ववत् रहेगा।

भाग—3

11.15 **शैक्षिक निष्पादन सूचक**

11.15.01 समग्र चयन प्रक्रियाओं में आवेदकों की योग्यताएँ एवं उनके प्रत्यायकों के विश्लेषण से जुड़ी, पारदर्शी, उद्देश्यपरक एवं विश्वसनीय प्रविधि को सम्मिलित किया जायेगा— और यह समस्त बातें उन अधिमानताओं पर आधारित होंगी जो किसी भी प्रत्याशी के उस निष्पादन पर दी जायेगी—जिन निष्पादन को विभिन्न सुसंगत आयामों में ख्याति अर्जन के रूप में किया गया है तथा क्रमशः यह समस्त उपरोक्त विवरण उन शैक्षिक निष्पादन सूचकों (ए0पी0आई0) पर आधारित रहेगा जिन सूचकों का प्रावधान परिशिष्ट ज की तालिका एक से नौ में उपबन्धित किया गया है।

चयन प्रणाली को और अधिक विश्वस्त बनाने के उद्देश्य से, संस्थाएं अध्यापन अथवा शोध प्रवृत्ति के प्रति क्षमता का निर्धारण विचार गोष्ठी के आयोजन द्वारा अथवा कक्षाकक्ष में व्याख्यान द्वारा अथवा परस्पर ऐसी चर्चा द्वारा या साक्षात्कार अध्यापन एवं शोध कार्य में अद्यतन तकनीक की क्षमता के उपयोग के अनुसार कर सकती हैं। इन समस्त प्रक्रियाओं का अनुसरण, प्रत्यक्ष भर्ती एवं सी0ए0एस0 प्रोन्नितयों के लिए किया जा सकता है, जहाँ भी चयन समितियाँ निर्धारित की गयी हैं।

11.15.02 विश्वविद्यालय अपने सांविधिक निकायों के माध्यम से चयन समितियों और चयन प्रक्रियाओं के लिए इन परिनियमों को अंगीकार करेंगे जिसमें विश्वविद्यालय के विभागों और उनके घटक/संबद्ध कॉलेजों (सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/स्वायत्तशासी/निजी कॉलेज) को सभी चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए निष्पादन आधारित अकादमी निष्पादन सूचक (ए.पी.आई.) और निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) समाविष्ट होगी। ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 के आधार पर सीधी भर्ती और कैरियर प्रगति योजना (सी.ए.एस.) के लिए सूचक पी0बी0ए0एस0 साँचा प्रारूप को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अलग से विश्वविद्यालयों को भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय साँचा प्रारूप को अंगीकार कर सकते हैं या वे इन परिनियमों में विहित पी0बी0ए0एस0 आधारित ए.पी.आई. मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए शिक्षकों हेतु अपना स्वतः मूल्यांकन सह—निष्पादन मूल्यांकन फार्म बना सकते हैं।

11.15.03 (एक) विभिन्न विषय के डाटाबेस द्वारा सूचीबद्ध प्रकाशन के प्रलेखन के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय विषय समिति (यों) के विशेषज्ञों और आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. के माध्यम से ये कार्य करेंगी, —

(क) संबंधित विषय (यों) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर मानक पत्रिकाओं की विस्तृत सूची तैयार करेंगी, और

(ख) भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं/पत्रों/अन्य प्रकाशनों संबंधी पुस्तकों की विस्तृत सूची तैयार करेंगी और उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डालेंगी एवं जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।

(दो) भारतीय भाषाओं के प्रकाशन के संबंध में कुलाधिपति द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञों की एक समन्वयन समिति द्वारा गुणवत्ता में समतुल्यता का निर्धारण किया जाएगा।

(तीन) अभ्यर्थी की नियुक्ति/पदोन्नति के दौरान उसके प्रकाशनों के स्तर का मूल्यांकन करते समय चयन समितियों को उक्त दो सूचियाँ उपलब्ध करानी होंगी जिन पर चयन समितियों द्वारा अन्य विषय विशेष के डाटाबेस के साथ विचार किया जाएगा।

11.15.04 सह आचार्य के चयन प्रक्रिया में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा इस परिनियम और अलग से दिए गए प्रारूप में ए0पी0आई0 मानदण्ड के आधार पर निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) का ब्यौरा बायोडाटा में विधिवत देना होगा। इन परिनियमावली के अधीन सह आचार्य के चयन हेतु उपबन्धित अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कॉलेज में सहायक आचार्य के पद से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित अनुसंधान प्रकाशनों को निर्धारित किया जाएगा:—

(क) पीएच०डी० उपाधि धारकों के लिए सहायक आचार्य की सेवावधि के दौरान कम से कम एक प्रकाशन;

(ख) एम.फिल. उपाधि धारकों के लिए सहायक आचार्य की सेवावधि के दौरान कम से कम दो प्रकाशन, और

(ग) जिनके पास पीएच०डी० या एम०फिल० की डिग्री न हो, सहायक आचार्य की सेवावधि के दौरान कम से कम तीन प्रकाशन :

परन्तु यह कि साक्षात्कार से पहले ऐसे प्रकाशनों को विषय के विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रकाशन ५. मूल्यांकन अंकों को चयन समिति द्वारा चयन के परिणाम को अंतिम रूप देते समय अधिमान दिया जाएगा।

11.15.05 आचार्य के चयन की प्रकिया में बायोडाटा आमंत्रित किया जायेगा जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा बनायी गयी इस परिनियमावली में निर्धारित पी०बी०ए०एस० सेट पर आधारित ए०पी०आई० मानदंडों तथा अभ्यर्थी के पाँच बड़े प्रकाशनों तथा उनके पुनः प्रकाशन के आधार पर निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी०बी०ए०एस०) को विधिवत भरा जायेगा :

परन्तु यह कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे प्रकाशन उस अवधि से पूर्व ही प्रकाशित किया गया हो जिस अवधि से उस शिक्षक को सहायक आचार्य चरण–दो लिए नियुक्त किया गया हो :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रकाशन को साक्षात्कार के पहले विषय विशेषज्ञ को मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशन के मूल्यांकन को चयन को अंतिम रूप देते समय अधिमान दिया जाएगा।

11.15.06 ऐसे आचार्यों के चयन के मामले में जो शैक्षिक विषय के बाहर के हैं और जिन पर उप परिनियम के खण्ड 11.13.02 (घ) के अंतर्गत विचार किया जाता है, विश्वविद्यालय के सांविधिक निकाय स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड और प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे ताकि केवल ऐसे उत्कृष्ट व्यावसायी, जो, विश्वविद्यालय की ज्ञान प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, का चयन किसी विषय में आवश्यकता के अनुरूप किया जाए।

11.15.07 प्राचार्य चयन की प्रक्रिया में अकादमिक कार्य निष्पादन सूचक (ए०पी०आई०) की अंक प्रणाली सीधी भर्ती के आचार्यों के समान होगी। इसके अतिरिक्त चयन समिति नीचे प्रदत्त अधिमान के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों का मूल्यांकन करेगी:

(एक) शिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन का मूल्यांकन (20 प्रतिशत)

(दो) स्पष्ट और प्रभावी तरीके से सम्प्रेषण करने की योग्यता (10 प्रतिशत)

(तीन) संस्थानों के कार्यक्रम की योजना बनाने, पाठ्यक्रम के विस्तार का विश्लेषण और उस पर चर्चा एवं अनुसंधान सहायता तथा कॉलेज के विकास/प्रशासन का कार्य की योग्यता (20 प्रतिशत); और

(चार) व्याख्यान देने की योग्यता संबंधी कार्यक्रम जिसका निर्धारण अभ्यर्थी द्वारा समूह चर्चा में भाग लेकर या कक्षा समान स्थिति में व्याख्यान देकर लगाया जायेगा (10 प्रतिशत); और

(पाँच) इन परिनियमों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए प्रारूप (प्रोफार्मा) में निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी०बी०ए०एस०) के आधार पर अभ्यर्थी के गुणों और प्रत्यय पत्र का विश्लेषण (कुल ए०पी०आई० अंकों में 40 प्रतिशत तक की कमी)।

11.15.08 कुछ विषयों/क्षेत्रों यथा संगीत और ललित कला, विजुअल आर्ट एवं परफार्मिंग आर्ट, शारीरिक शिक्षा और पुस्तकालय जिनकी अपनी अलग तरह की प्रकृति है, के पदों के चयन प्रक्रियाओं प्रत्येक पदों के इन परिनियमों में निर्धारित कार्यों पर ज्यादा बल दिया जाए। संबंधित संस्थानों द्वारा सीधी भर्ती और सी०ए०एस० पदोन्नति दोनों के लिए ए०पी०आई० आधारित पी०बी०ए०एस० प्रारूप तैयार करते समय इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

11.15.09 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों /कालेजों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष कुलपति (विश्वविद्यालय के मामले में) और आचार्य (कॉलेजों के मामले में) होंगे। आईक्यूएसी संस्थान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से बनाए गए सूचक सांच, जो

संस्थागत पैरामीटर के रूप में विहित है, का प्रयोग करते हुए पी०बी०ए०एस० प्रोफार्मा आधारित एपीआर के मानदंड के विकास में सहायता सहित दस्तावेज रखरखाव प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा, जिसमें पी०बी०ए०एस० में प्रत्येक शिक्षक का छात्रों द्वारा मूल्यांकन के भाग को शामिल नहीं किया जायेगा।

11.15.10 ए०पी०आई० के विद्यमान रहने पर,

(क) परिशिष्ट–ज की सारणी–एक और तीन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आचार्यों/सह आचार्यों/सहायक आचार्यों पर लागू है, प्रत्येक संवर्ग के लिए श्रेणीवार ए०पी०आई० अंक का न्यूनतम अनुपात/प्रतिशत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा यू०जी०/पी०जी० कॉलेज शिक्षकों, जैसा कि परिशिष्ट–ज सारणी में दिया गया है, से अलग होगा।

11.15.11 उपर्युक्त संवर्गों के लिए सीधी भर्ती व कैरियर प्रगति योजनाओं के परिनियमों के लिए चयन समितियों और चयन प्रक्रियाओं एवं ए०पी०आई० अंक की आवश्यकताएँ समान होंगी। तथापि, चूंकि सीधी भर्ती से आए शिक्षक अलग पृष्ठभूमि और संस्थानों के हो सकते हैं इसलिए परिशिष्ट–ज की सारणी दो (ग) में शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए मानदंड निर्धारित करता है जबकि सारणी 2 (क) और सारणी 2 (ख) शिक्षकों का क्रमशः विश्वविद्यालयों और कालेजों में सी०ए०एस० पदोन्नतियों का प्रावधान करता है, जो इन अंतरों का समायोजन कर देता है।

अध्याय 12

उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

धारा 7(6) 10(2) तथा 49(ज)

12.01–(क) डॉक्टर–ए–अदब के लिये डॉक्टर आफ लेटर्स (डी०लिट०) की सम्मानार्थ उपाधि, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन–शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी।

(ख) डाक्टर आफ साइन्स (डी०एस०सी०) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थाओं के आयोजन, संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

(ग) डाक्टर आफ लाज (एल०एल०डी०) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जो विख्यात वकील, न्यायाधीश अथवा विधिवेत्ता राजनयज्ञ हों अथवा जिन्होंने लोक कल्याण के लिये महत्वपूर्ण योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

धारा 7 (6) 10(2) तथा 49(ज)

12.02–कार्य परिषद स्वतः अथवा विद्या परिषद की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को धारा 10(2) के अधीन पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है :

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति के संबंध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

धारा49(झ) तथा 67

12.03–विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र को वापस लेने के लिये धारा 67 के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायेगा। कुलसचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

धारा 49(झ) तथा 67

12.04–सम्मानार्थ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

12.05–(क) किसी संस्थान को सम्बद्ध संकाय बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद की सिफारिश के पश्चात कार्य परिषद द्वारा ऐसी संस्था के रूप में, जहां अधिनियम की धारा 7(4) (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान कार्य किया जा सकता है, सम्बद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार की दी गयी सम्बद्धता सम्बद्ध संकाय बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद द्वारा दी गयी सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा वापस ली जा सकती है।

(ख) इस प्रकार सम्बद्धता प्राप्त संस्थान का प्रबन्ध –

(एक) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या अन्य समकक्ष निकाय जिसके गठन की सूचना कार्य परिषद को दी जायेगी,

(दो) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त निदेशक, में निहित होगा।

(ग) किसी सम्बद्धता प्राप्त संस्थान में अनुसंधान कार्य का मार्ग दर्शन, संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापकों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें विश्वविद्यालय की डी०लिट० या डी०एस०सी० या एल०एल०डी० या डी०फिल० की उपाधियों के लिए पर्यवेक्षक या सलाहकार के रूप में सम्बद्धता दी जा सकती है।

(घ) संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे इस बात से सहमत हों तो सम्बद्ध विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के अनुसंधान छात्रों को उच्च कोटि की व्याख्यानमाला में व्याख्यान दे सकते हैं।

(ड.) कोई व्यक्ति, जो अपेक्षित अर्हताएं रखता हो और जो विश्वविद्यालय की अनुसंधान उपाधि के लिए संस्थान में अनुसंधान कार्य करने का इच्छुक हो, संस्थान के निदेशक के माध्यम से कुलसचिव को आवेदन पत्र देगा। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों को अध्यादेशों के अधीन गठित विश्वविद्यालय की अनुसंधान उपाधि समिति के समक्ष रखा जायेगा और यदि समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाये, तो आवेदक को ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाये, कार्य प्रारम्भ करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(च) संस्थान के लिए प्राप्त कोई विशिष्ट अनुदान या दान संस्थान के निमित्त रखा जायेगा और उसे संस्थान के लिए व्यय किया जायेगा। विश्वविद्यालय में किसी तत्समान शिक्षण विभाग के किसी अनुदान का कोई भाग किसी अन्य के लिए व्यय नहीं किया जायेगा।

अध्याय 13

दीक्षान्त समारोह

13.01–(1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएं प्रदान करने के लिए वर्ष भर में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर, जैसा कार्य परिषद नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है। धारा 49(द)

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा तत्सदृश कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे जिनसे विश्वविद्यालय का नियमित निकाय गठित हो।

13.02–प्रत्येक सहयुक्त महाविद्यालय में स्थानीय दीक्षान्त समारोह ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर, जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पूर्वानुमोदन से नियत करे, आयोजित किया जा सकता है। धारा 49(द)

13.03–दो या अधिक महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त दीक्षान्त समारोह परिनियम 13.02 में विहित रीति से आयोजित किया जा सकता है। धारा 49(द)

13.04–इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसे अध्यादेशों में निर्धारित हों। धारा 49(द)

13.05–जहां विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए परिनियम 13.01 से परिनियम 13.04 के अनुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं सम्बन्धित अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं। धारा 49(द)

अध्याय 14

भाग–1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

धारा 49(घ) 14.01–विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा। परिनियमावली 14.30 में उल्लिखित व्यावसायिक आचार संहिता और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचार संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले परिशिष्ट–क में दिए गये करार का एक भाग होगा।

धारा 49(घ) 14.02–परिनियम 14.30 में उल्लिखित व्यावसायिक आचार संहिता और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचार संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन परिनियम 14.04 के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।

धारा 49(घ) 14.03–(1) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक हटाया जा सकता है या उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं :

(क) कर्तव्य की जान–बूझकर उपेक्षा;

(ख) अवचार;

(ग) सेवा संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेईमानी;

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण व नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्धि ;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति;

(2) धारा 31 की उपधारा (2) में की गयी व्यवस्था के सिवाय संविदा समाप्त करने के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात दी जाये तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायेगी, या ऐसी नोटिस के बदले में तीन मास (या उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा :

परन्तु यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवाएं समाप्त करे या यदि कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित उसकी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता न होगी :

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

धारा 32(2) 49(घ) 14.04–धारा 32 में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी रहेगी।

स्वतः आंकन या संयोजित निष्पादन आधारित आंकन पद्धति (पी0बी0ए0एस0) प्रणाली सेवा संविदा/अभिलेख का भाग होगी।

धारा 21 (XVII) तथा धारा 49(घ) 14.05–परिनियम 14.03 के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवाएं समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए सिद्ध दोष होने या पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अध्यापक को उसके विरुद्ध आरोप लगाकर, उसकी सूचना, जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उसके विवरण सहित न दे दी जाये, और उसको :

(i) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे और

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे पर्याप्त अवसर न दे दिया जाये,:

परन्तु यह कि कार्य परिषद् या उसके द्वारा जांच करने के लिये, प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुये किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) कार्य परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(3) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।

(4) कार्य परिषद्, अध्यापक के सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अध्यापक का वेतन कम करके और या विनिर्दिष्ट अवधि के लिये उसकी वेतन वृद्धियां रोक करके अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकती है या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर सकती है।

14.06– यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने पर विचार हो तो परिनियम 8.10 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 14.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि इस आधार पर निलंबन का आदेश दिया जाये कि अध्यापक के विरुद्ध जांच प्रारम्भ करने पर विचार है, तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह बीत जाने पर समाप्त हो जायेगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाये जिनके बारे में जांच कराने पर विचार था। धारा 21(XVII) तथा 49(घ)

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को –

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि की स्थिति में उसे अड़तालीस घन्टे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप तुरन्त पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोष सिद्धि के दिनांक से निलम्बित समझा जायेगा।

(ख) किसी अन्य स्थिति में यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाय, चाहे निरोध किसी आपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिये निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अड़तालीस घण्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी यदि कोई हो, अन्यथा विचार किया जायेगा, और

(3) यदि विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रेतर जांच करने का विनिश्चय करे वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक से ही प्रवृत्त है।

(4) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2 के भाग 2 के अध्याय 8 के उपबन्धों के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

14.07–परिनियम 14.06 के खण्ड (1) और (2) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश वर्तमान हो, सम्मिलित नहीं की जायेगी। धारा 21(XVII) तथा 49(i)

धारा 34(1) 14.08–विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कैलेण्डर वर्ष में धारा 34(1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए उस कैलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के कुल योग के छठे भाग या चालीस हजार रुपये, जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

धारा 34 14.09– इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुये भी–

(एक) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।

(दो) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा।

(तीन) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिये निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियम 14.11 द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थिति होने के लिये विश्वविद्यालय से त्याग पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक पद नहीं समझा जायेगा।

14.10–कार्य परिषद प्रत्येक वर्ष दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

शिक्षण दिवस

14.11.01 (क) उपखण्ड (ख) के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय को कम से कम 180 कार्य दिवस को अंगीकार करना होगा अर्थात एक सप्ताह में 06 दिवसों के 30 सप्ताहों का वास्तविक शिक्षण होना चाहिए। शेष अवधि में से 12 सप्ताह प्रवेश तथा परीक्षा कियाकलाप तथा सह–पाठ्येतर, खेलकूद, कॉलेज दिवस आदि के गैर अनुदेशात्मक दिवस को समर्पित किए जाने चाहिए। 6 सप्ताह अवकाश तथा 4 सप्ताह विभिन्न सार्वजनिक अवकाश के लिए रखे जाने चाहिए। यदि विश्वविद्यालय सप्ताह में 5 कार्य दिवस के पैटर्न को अपनाती है तो एक सप्ताह में छह दिवसों के समान 30 सप्ताहों का वास्तविक शिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त को संक्षेप में निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है :–

श्रेणीकरण	सप्ताहों की संख्या
शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया	30 (180 दिवस)
प्रवेश	04
परीक्षा की तैयारी	02
परीक्षा	06
छुट्टियाँ	06
सार्वजनिक अवकाश (तदनुसार शिक्षण दिवस को बढ़ाये एवं समायोजित किया जाये)	04
कुल	52

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए, न्यूनतम 200 कार्य दिवस तैयारी छुट्टी, परीक्षा और प्रवेश के अतिरिक्त होंगे, जिनमें से कम से कम 40 दिनों के अभ्यास शिक्षण या कौशल विकास के लिए होंगे, जिनका समायोजन तदनुसार किया जाएगा।

अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था एक सप्ताह में न्यूनतम 36 घण्टे कार्य करेगी जिसमें सभी शिक्षकों व छात्रों को भौतिक रूप से संस्था में रहना अनिवार्य होगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत सलाह, मार्ग दर्शन, संवाद और विमर्श आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके :

परन्तु यह कि जहाँ विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक संसद या राज्य विधानसभा के सत्र के कारण उपलब्ध नहीं है तो वह उसी देय छुट्टी पर माना जायेगा और यदि उसको कोई छुट्टी देय नहीं है तो वह अवैतनिक अवकाश पर माना जायेगा।

14.11.02 2 सप्ताह की छुट्टी की कटौती के एवज में, शिक्षकों के अर्जित अवकाश की अवधि के 1/3 के साथ जमा किया जा सकता है।

भाग–2

विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु अवकाश नियम

14.12 छुट्टी के लिए दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। यदि अवसर की आत्यमिकता की मांग है तो मंजूरी प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए मना कर सकते है और यहां तक कि पहले से ही स्वीकृत छुट्टी रद्द कर सकते है।

14.13 अर्द्ध वेतन छुट्टी, राशिकृत छुट्टी, अध्ययन छुट्टी व असाधारण छुट्टी के मामलो में परिषद तथा अन्य मामलों में कुलपति छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

14.14 **(1) छुट्टी निम्न श्रेणियों की होगी :–**

(एक) आकस्मिक छुट्टी;

(दो) विशेष आकस्मिक छुट्टी;

(तीन) उपार्जित छुट्टी या विशेषाधिकार छुट्टी;

(चार) कार्यार्थ अवकाश;

(पाँच) असाधारण छुट्टी;

(छः) अध्ययन अवकाश या विराम अवकाश;

(सात) अर्द्ध वेतन छुट्टी या दीर्घ कालिक छुट्टी;

(आठ) राशिकृत छुट्टी;

(नौ) अर्जन शोध्य छुट्टी;

(दस) मातृत्व अवकाश;

(ग्यारह) बच्चों की देखभाल हेतु छुट्टी।

(2) आपवादिक मामलो में कार्यपरिषद कारणों को दर्ज किये जाने के साथ इस तरह के नियम और शर्तों के अधीन जो लागू करने के लिए उचित समझे किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी दे सकती है।

14.15. आकस्मिक छुट्टी

किसी भी स्थायी शिक्षक को पूर्ण वेतन पर एक शैक्षणिक वर्ष में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश 8 दिनों से अधिक का नहीं होगा।

विशेष आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर आकस्मिक छुट्टी को किसी भी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। तथापि, ऐसी आकस्मिक छुट्टी को रविवारों सहित अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है। आकस्मिक छुट्टी की अवधि में पड़ने वाले अवकाशों अथवा रविवारों की गणना आकस्मिक छुट्टी के रूप में नहीं की जाएगी।

14.16. विशेष आकस्मिक छुट्टी

(एक) विशेष आकस्मिक छुट्टी, जो एक शैक्षणिक वर्ष में 10 दिन से अधिक की न होगी, किसी भी स्थायी शिक्षक को निम्नलिखित कार्यों के लिए स्वीकृत की जा सकती है–

(क) किसी विश्वविद्यालय/लोक सेवा आयोग/परीक्षा बोर्ड अथवा अन्य सदृश निकायों/संस्थाओं की परीक्षा का संचालन करने के लिए; और

(ख) किसी भी सांविधिक बोर्ड इत्यादि से संबंधित अकादमिक संस्थाओं इत्यादि का निरीक्षण करने के लिए।

उपर्युक्त उपखण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुमन्य 10 दिन की छुट्टी की गणना करने में उन स्थानों जहां उपर्युक्त निर्दिष्ट कार्यकलाप घटित होते हैं, की दोनों तरफ की वास्तविक यात्रा, यदि कोई हो, में लगने वाले दिनों को शामिल नहीं किया जाएगा,

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं की बंध्याकरण शल्य चिकित्सा (नसबन्दी अथवा साल्पिनजेक्टोमी) करवाने के लिए। इस मामले में छुट्टी को 6 कार्य दिवसों तक सीमित कर दिया जाएगा; तथा

(घ) किसी भी महिला शिक्षक को स्वयं का अस्थाई बंध्याकरण करवाने के लिए।

(दो) विशेष आकस्मिक छुट्टी का संचय नहीं किया जा सकता और न ही इसे आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे अवकाशों अथवा छुट्टियों के साथ जोड़कर प्रत्येक अवसर पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

14.17 उपार्जित छुट्टी

(एक) खण्ड 15.11.02 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी भी स्थायी शिक्षक को अनुमन्य उपार्जित छुट्टी निम्नानुसार होगी:–

(क) अवकाश सहित वास्तविक सेवा का 1/30 भाग; और

(ख) उस अवधि जिसके दौरान उसको छुट्टियों के दौरान ड्यूटी करनी पड़ती है, का 1/3 वास्तविक सेवा की अवधि की गणना करने के प्रयोजनों से आकस्मिक, विशेष और कार्यार्थ छुट्टी के सिवाय सभी छुट्टी की अवधियों को शामिल नहीं किया जाएगा;

(दो) किसी भी शिक्षक के खाते में जमा उपार्जित छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी और 300 दिनों से अधिक संचित नहीं होगी। एक बार में स्वीकृत की जा सकने वाली अधिकतम उपार्जित छुट्टी 60 दिन से अधिक की नहीं होगी। तथापि 60 दिनों से अधिक की उपार्जित छुट्टी उच्चतर अध्ययन, अथवा प्रशिक्षण, अथवा चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी, अथवा जब समूची छुट्टी अथवा उसका एक भाग भारत से बाहर व्यतीत हुआ हो, के मामले में स्वीकृत की जा सकती है।

शंका निवारण के लिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए:–

(एक) जब कोई शिक्षक उपार्जित छुट्टियों को अवकाश के साथ मिलाता है तो अवकाश की अवधि को औसत वेतन पर छुट्टी की अधिकतम सीमा की गणना करते समय छुट्टी माना जाएगा जिसे छुट्टी की विशेष अवधि में शामिल किया जा सकता है।

(दो) ऐसे मामले में, जिसमें छुट्टी का केवल एक भाग ही भारत से बाहर व्यतीत किया गया है, 120 दिनों से अधिक की छुट्टी की स्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि छुट्टी का वह भाग जो भारत में व्यतीत किया गया है कुल मिलाकर 120 दिन से अधिक का नहीं होगा।

14.18 कार्यार्थ अवकाश

(एक) निम्नलिखित के लिए स्थायी शिक्षक को एक शैक्षणिक वर्ष में पूर्ण वेतन पर अधिकतम 30 दिनों का कार्यार्थ अवकाश मिलेगा:–

(क) विश्वविद्यालय की ओर से या विश्वविद्यालय की अनुमति से सम्मेलन, सभा-संगोष्ठी और सम्मेलन में भाग लेने के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए निमंत्रण मिलने और कुलपति द्वारा स्वीकृति मिलने पर ऐसी संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में भाषण देने के लिए;

(ग) किसी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य एजेन्सी, संस्थान या संगठन में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले के लिए;

(घ) किसी शिष्टमंडल में भाग लेने अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, किसी निकटस्थ विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक निकाय द्वारा नियुक्त किसी समिति में कार्य करने के लिए; और

(ङ) विश्वविद्यालय के लिए किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए :

परन्तु यह कि यदि अध्यापक को अध्येतावृत्ति या मानदेय या कोई अन्य ऐसी वित्तीय सहायता मिल रही हो जो सामान्य व्यय हेतु आवश्यक धनराशि से अधिक हो तो उसे कम वेतन और भत्ते पर कार्यार्थ अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(दो) छुट्टी की अवधि ऐसी होनी चाहिए जैसी कि प्रत्येक अवसर पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाए।

(तीन) कार्यार्थ अवकाश को उपार्जित छुट्टी, अर्द्ध-वेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(चार) कार्यार्थ अवकाश यू०जी०सी०, डीएसटी इत्यादि जहाँ किसी अध्यापक को शैक्षणिक निकायों, सरकारी अथवा एनजीओ के साथ विशेषता का आदान–प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, की बैठकों में भाग लेने के लिए भी कार्यार्थ अवकाश दिया जाना चाहिए।

14.19 असाधारण छुट्टी

(एक) किसी भी स्थायी शिक्षक को निम्नलिखित स्थिति में असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है:–

(क) जब कोई अन्य छुट्टी अनुमन्य न हो; अथवा

(ख) अन्य छुट्टी अनुमन्य हो और शिक्षक लिखित में असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन करता है।

(दो) असाधारण छुट्टी सदैव वेतन एवं भत्तों रहित होगी। निम्नलिखित मामलों को छोड़कर असाधारण छुट्टी की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी:–

(क) चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर ली गई छुट्टी;

(ख) उन मामलों में जिनमें कुलपति इस बात से संतुष्ट हो कि छुट्टी उन कारणों से ली गई थी जो शिक्षक के वश में नहीं थे, जैसे सिविल उपद्रव अथवा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अपना कार्यभार ग्रहण करने/कार्यभार पुनः ग्रहण करने में असमर्थता, बशर्ते कि शिक्षक के खाते में कोई अन्य प्रकार की छुट्टी शेष न हो;

(ग) उच्च अध्ययन के लिए ली गयी छुट्टी; और

(घ) किसी शैक्षणिक पद अथवा फेलोशिप अथवा अनुसंधान-सह-शैक्षणिक पद अथवा महत्वपूर्ण तकनीकी अथवा शैक्षणिक कार्य करने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए स्वीकृत की गयी छुट्टी।

(तीन) असाधारण छुट्टी को, आकस्मिक छुट्टी अथवा विशेष आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर, किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़कर लिया जा सकता है परन्तु यह कि छुट्टी पर ड्यूटी से अनवरत अनुपस्थिति की कुल अवधि (छुट्टियों, जब ऐसी छुट्टी के साथ जोड़कर ली जाए, की अवधियों सहित) उन मामलों जिनमें छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर ली जाती है, को छोड़कर तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। ड्यूटी से अनुपस्थिति की कुल अवधि किसी भी स्थिति में व्यक्ति के पूर्ण कार्यकाल में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(चार) छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी भूतलक्षी प्रभाव से बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण छुट्टी में परिणत कर सकता है।

14.20 अध्ययन अवकाश:

(एक) अध्ययन अवकाश सेवा में स्थायी एवं पूर्णकालिक सहायक आचार्य को तीन वर्ष की अनवरत सेवा के बाद संस्था में उसके कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अध्ययन अथवा अनुसंधान के विशेष क्षेत्र की पढ़ाई करने अथवा विश्वविद्यालय संगठन और शिक्षा की प्रविधियों का अध्ययन करने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

(दो) अध्ययन अवकाश की वेतन सहित अवधि तीन वर्ष की हो सकती है परन्तु पहले दो वर्ष दिए जाएँ और यदि अनुसंधान मार्गदर्शक द्वारा पर्याप्त प्रगति होने की रिपोर्ट दी जाती है तो इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अध्ययन अवकाश पर भेजे गए अध्यापकों की संख्या किसी विभाग में अध्यापकों की निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो जाए :

परन्तु यह कि कार्य परिषद् किसी मामले की विशेष परिस्थितियों में दो वर्षों की अनवरत सेवा की शर्त में छूट प्रदान कर सकती है।

स्पष्टीकरण: सेवा की दीर्घता की गणना करने में उस समय जिसके दौरान कोई व्यक्ति परिवीक्षा पर था, की भी गणना की जा सकेगी परन्तु यह कि:—

(क) आवेदन के दिनांक को व्यक्ति अध्यापक है;

(ख) सेवा में कोई अन्तराल नहीं है; और

(ग) अवकाश का अनुरोध पीएच0डी0 अनुसंधान कार्य करने के लिए किया गया है।

(तीन) अध्ययन अवकाश संबंधित विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी। उक्त छुट्टी एक बार में तीन वर्ष से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं की जायेगी। सिवाय ऐसे आपवादिक मामलों में जिसमें कार्य परिषद का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार का विस्तार शैक्षणिक कारणों से अपरिहार्य है और विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है।

(चार) अध्ययन अवकाश ऐसे अध्यापक को नहीं दिया जाएगा जो उस दिनांक, जब अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद उसके ड्यूटी पर लौट आने की संभावना है, के पाँच वर्ष के अंदर वह सेवानिवृत्त होने वाला है।

(पाँच) अध्ययन अवकाश किसी भी व्यक्ति को उसके सेवा काल में दो बार से अधिक नहीं दिया जा सकेगा :

परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में समूचे सेवाकाल के दौरान अधिकतम स्वीकार्य अध्ययन अवकाश पाँच वर्षों से अधिक न हो।

(छः) कोई भी अध्यापक जिसको अध्ययन अवकाश दिया गया है, को कार्यकारी परिषद् की पूर्वानुमति के बिना अध्ययन के पाठ्यक्रम अथवा अनुसंधान के कार्यक्रम में कोई भारी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वीकृत अध्ययन अवकाश से कम अवधि में ही अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा हो जाने की स्थिति में अध्यापक अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम में पूरा होते ही तुरन्त अपनी ड्यूटी पर आ जाएगा जब तक कि उसने अध्ययन अवकाश की इस शेष अवधि को सामान्य छुट्टी के रूप में माने जाने का पूर्वानुमोदन कार्य परिषद् से न ले लिया हो।

(सात) छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि जो तीन वर्ष से अधिक न हो, के अध्यधीन अध्ययन अवकाश के साथ उपार्जित छुट्टी, अर्द्ध-वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी अथवा छुट्टियों को जोड़ा जा सकता है :

परन्तु यह कि शिक्षक के खाते में जमा उपार्जित छुट्टियाँ शिक्षक के विवेक पर ली जाएँगी। शिक्षक, जिसका अध्ययन अवकाश के दौरान उच्चतर पद के लिए चयन हो जाता है को उस पद पर रख दिया जायेगा और उसे उच्चतर वेतन पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही दिया जाएगा।

(आठ) अध्ययन अवकाश पर भेजे गए शिक्षक के वापस आने पर और विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः कार्य भार ग्रहण करने के बाद वह वार्षिक वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियाँ) जो उसको उस समय मिलती जब वह अध्ययन अवकाश पर नहीं जाता, का भी लाभ लेने का पात्र होगा। तथापि, कोई भी अध्यापक वेतनवृद्धियों के बकाया की राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(नौ) अध्ययन अवकाश की पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि हेतु सेवा के रूप में गणना की जाएगी :

परन्तु यह कि शिक्षक अपने अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले।

(दस) किसी शिक्षक को स्वीकृत किए गए अध्ययन अवकाश को रद्द माना जाएगा यदि उसका उपभोग उसकी स्वीकृति के 12 माह के अंदर नहीं किया जाता है :

परन्तु यह कि जहाँ स्वीकृत अध्ययन अवकाश इस प्रकार रद्द हो जाता है तो शिक्षक ऐसे अवकाश के लिए पुनः आवेदन कर सकता है।

(ग्यारह) अध्ययन अवकाश लेने वाला/लेने वाली शिक्षक/शिक्षिका यह वचन देगा/देगी कि वह कम से कम तीन वर्ष तक की अनवरत अवधि, जिसकी गणना अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी, तक विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएँ देगा/देगी।

(बारह) अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के बाद शिक्षक अवकाश का उपभोग करने के पहले विश्वविद्यालय के पक्ष में एक बंधपत्र निष्पादित करेगा जिसके अंतर्गत वह अपने आपको उपर्युक्त उप-खण्ड में निहित शर्तों को समुचित रूप से पूरा करने के लिए बाध्य करेगा और वित्त अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप अचल संपत्ति की जमानत देगा अथवा किसी बीमा कंपनी का विश्वस्तता बंधपत्र अथवा किसी अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति अथवा उस धनराशि जो उपर्युक्त उप-खण्ड (ग्यारह) के अनुसार विश्वविद्यालय में जमा करवानी पड़ सकती है, के लिए दो स्थायी शिक्षकों की जमानत देगा/देगी।

(तेरह) शिक्षक अपने पर्यवेक्षक/संस्थान के प्रमुख से प्राप्त छमाही प्रगति प्रतिवेदन रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा/करेगी। यह प्रतिवेदन अध्ययन अवकाश के प्रत्येक छह माह की समाप्ति के बाद एक माह के अन्दर रजिस्ट्रार के पास अवश्य पहुँचाना होगा।

14.21 विराम अवकाश

(एक) स्थायी, पूर्णकालिक शिक्षकों को जिन्होंने उपाचार्य/सह-आचार्य अथवा आचार्य के रूप में सेवा के सात वर्ष पूरे कर लिए हों, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए उनकी प्रवीणता और उपादेयता में वृद्धि करने के एक मात्र उद्देश्य से अध्ययन अथवा अनुसंधान अथवा कोई अन्य शैक्षणिक कार्य को पूरा करने के लिए विराम अवकाश की स्वीकृति की जा सकती है।

(दो) इस अवकाश की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक और एक शिक्षक के पूरे सेवा काल में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(तीन) जिस शिक्षक ने अध्ययन अवकाश का उपभोग किया है वह विराम अवकाश प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह कि विराम अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले वाले अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किसी प्रकार के एक वर्ष से या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम से शिक्षक के वापिस आने की तिथि से पाँच वर्ष समाप्त न हो गए हों।

(चार) कोई भी शिक्षक, जो विराम अवकाश पर है, उस अवकाश की अवधि के दौरान भारत अथवा विदेश में किसी भी संगठन के अधीन कोई भी नियमित नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा। तथापि उसे किसी भी उच्च अध्ययन संस्थान में नियमित नियुक्ति को छोड़कर मानदेय अथवा किसी अन्य सहायता के रूप में कोई भी अध्येतावृत्ति अथवा अनुसंधान छात्रवृत्ति अथवा तदर्थ शैक्षिक अथवा अनुसंधान उत्तरदायित्व स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है

(पाँच) विराम अवकाश की अवधि के दौरान शिक्षक को नियत तिथि पर वेतन वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति होगी। अवकाश की अवधि की भविष्य निधि सेवानिवृत्ति के लाभों के प्रयोजनों हेतु सेवा के रूप में गणना की जाएगी:

परन्तु यह कि शिक्षक अपने अवकाश की समाप्ति पर विश्वविद्यायल में अपने कार्यभार को ग्रहण कर लेता है।

14.22 अर्द्ध वेतन छुट्टी

किसी भी स्थायी शिक्षक को अनुमन्य अर्द्ध वेतन छुट्टी सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 20 दिन की होगी। ऐसी छुट्टी पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर, निजी कार्यों अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु स्वीकृत की जा सकती है।

स्पष्टीकरण :

"सेवा का पूरा किया गया वर्ष" का तात्पर्य है विश्वविद्यालय के अधीन निर्दिष्ट अवधि की अनवरत सेवा से है और इसमें ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधियाँ तथा असाधारण छुट्टी सहित छुट्टी सम्मिलित है।

14.23 राशिकृत छुट्टी

किसी भी स्थायी शिक्षक को राशिकृत छुट्टी, जो देय अर्द्ध वेतन छुट्टी के आधे से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है :—

(क) राशिकृत छुट्टी समग्र सेवा के दौरान अधिकतम 240 दिनों तक सीमित होगी.

(ख) जब राशिकृत छुट्टी स्वीकृत की जाती है तो देय अर्द्ध वेतन छुट्टियों में से ऐसी छुट्टी की दो गुना छुट्टियाँ काट ली जाएगी;

(ग) एक साथ जोड़कर लेने पर उपार्जित छुट्टी और राशिकृत छुट्टी की कुल अवधि एक बार में 240 दिनों से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि इन परिनियमों के अंतर्गत कोई भी राशिकृत छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इसकी समाप्ति पर शिक्षक ड्यूटी पर वापस लौट आएगा।

14.24 अर्जन शोध्य छुट्टी

(एक) कुलपति के विवेक पर किसी भी स्थायी शिक्षक को अर्जन शोध्य छुट्टी उतनी अवधि के लिए स्वीकृत की जा सकती है जो सेवा की समग्र अवधि के दौरान 360 दिन, जिसमें से एक बार में 90 दिन और कुल मिलाकर 180 दिन से अनधिक को चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के अलावा स्वीकार किया जा सकता है। ऐसी छुट्टी बाद में उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली अर्द्ध-वेतन-छुट्टी से काट ली जाएगी।

(दो) अर्जन शोध्य छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि कुलपति इस बात से संतुष्ट न हो कि जहाँ तक तार्किक दूरदृष्टि से अनुमान लगाया जा सकता है, शिक्षक छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर लौट आएगा और स्वीकृत की जा चुकी छुट्टी को अर्जित करेगा।

(तीन) किसी भी शिक्षक, जिसको अर्जन शोध्य छुट्टी स्वीकृत की जाती है, को तब तक सेवा से त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके छुट्टी के खाते से काटी जाने वाली छुट्टियों के बकाया को सक्रिय सेवा के द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता अथवा वह इस प्रकार अर्जित न की गई अवधि के लिए भुगतान की गई वेतन और भत्तों की धनराशि को वापिस नहीं लौटा देता। उस मामले में जिसमें खराब स्वास्थ्य, जो शिक्षक को और आगे सेवा करने में अक्षम कर दे, के कारण से सेवानिवृत्ति अपरिहार्य हो जाए तो छुट्टी की उस अवधि जिसे अर्जित किया जाना है, के छुट्टी वेतन को वापस किये जाने को कार्यकारी परिषद् द्वारा माफ किया जा सकता है :

परन्तु यह कि कार्यकारी परिषद् किसी अन्य अपवादिक मामले में, लिखित में दिए जाने वाले कारणों के लिए छुट्टी की अवधि जिसे अभी तक अर्जित नहीं किया गया है, के छुट्टी वेतन को वापस किये जाने को माफ कर दे।

14.25. मातृत्व अवकाश

(क) किसी भी महिला शिक्षक को 180 दिनों से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर मातृत्व अवकाश, जिसे समग्र सेवा काल में दो बार लिया जा सकता है, स्वीकृत किया जा सकता है। मातृत्व अवकाश गर्भपात सहित अपरिपक्व प्रसव के मामले में भी इस शर्त के अध्यधीन कि इस संबंध में किसी भी महिला शिक्षक को उसके सेवा काल में स्वीकृत की गई कुल छुट्टी 45 दिन से अधिक न हो और छुट्टी के आवेदन के समर्थन में चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र भी लगाया गया है, स्वीकृत किया जा सकता है;

(ख) मातृत्व अवकाश को उपार्जित छुट्टी, अर्द्ध-वेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ जोड़कर लिया जा सकता है लेकिन कोई भी छुट्टी जो मातृत्व अवकाश की अनवरतता में आवेदित की गई है, को स्वीकृत किया जा सकता है यदि समर्थन में चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र भी लगा हुआ हो।

14.26 बच्चों की देखभाल हेतु छुट्टी

(एक) अवयस्क बच्चों वाली शिक्षिकाओं को अपने अवयस्क बच्चों की देखभाल करने के लिए दो वर्ष तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। छुट्टी के सम्बन्ध में वही नियम व शर्तें मान्य होंगी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये समय-समय पर जारी की जाती है।

(दो) उन मामलों में जिनमें 45 दिन से अधिक की चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जाती है, संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना देकर अंश-कालिक/अतिथि स्थानापन्न शिक्षक की नियुक्ति कर सकता है।

(तीन) छुट्टी के लागू होने के संबंध में किसी भी मामले में शंका निवारण के लिये राज्य का निर्णय अन्तिम होगा।

भाग—3

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु

14.27—(1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु, बासठ वर्ष होगी। धारा 49(घ)

(2) किसी भी अध्यापक को अधिवर्षिता की आयु के पश्चात सेवा में विस्तार स्वीकृत नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून न हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा :

परन्तु अग्रतर यह कि ऐसा अध्यापक जिसे अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित पर समझा जाये समान प्रास्थिति के किसी सरकारी कर्मचारी को अनुमन्य वेतन और अन्य लाभों का हकदार होगा।

भाग—4

पूर्व सेवाओं की गणना

14.28—किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय पुस्तकालयों या अन्य वैज्ञानिक / व्यावसायिक संगठनों यथा सी०एस०आई०आर०, आई०सी०ए०आर०, डी०बी०टी० आदि में प्राध्यापक / सहायक आचार्य, उपाचार्य / सह आचार्य या आचार्य या समकक्ष के रूप में की गयी पूर्व नियमित सेवाओं चाहे राष्ट्रीय हो या अन्तरराष्ट्रीय, की गणना सी०ए०एस० के अधीन सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य या किसी अन्य नामावली के रूप में किसी शिक्षक की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए की जायेगी। तालिका संख्या—दो के अनुसार वर्णित ये पद विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात् विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टॉफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर, आयोग द्वारा नियमन—2010 के सुसंगत उपबन्धों द्वारा शासित होंगे :

परन्तु यह कि—

(क) धृत पद की अनिवार्य अर्हता यथास्थिति, प्राध्यापक / सहायक आचार्य, उपाचार्य / सह-आचार्य या आचार्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित अर्हताओं से निम्न न हो;

(ख) सहायक आचार्य (प्राध्यापक), सह-आचार्य (उपाचार्य) और आचार्य के पद के सदृश पद समकक्ष ग्रेड या पूर्व पुनरीक्षित वेतन मान में है / था ;

(ग) अभ्यर्थी ने सीधी भर्ती के लिए उचित माध्यम से ही आवेदन किया है;

(घ) सम्बन्धित सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य के पास वही न्यूनतम अर्हता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथास्थिति, सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य की नियुक्ति के लिए विहित है;

(ङ) पद को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 और तदधीन बनाए गये नियमों और इस परिनियमावली में उपबन्धित विहित चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा गया था;

(च) अतिथि प्राध्यापक (जिस भी नाम से पुकारा जाय) के रूप में किसी भी अवधि के लिये या तदर्थ अथवा छुट्टी के कारण हुयी रिक्ति में एक वर्ष से कम की अवधि के लिए पूर्व नियुक्ति नहीं की गयी थी। एक वर्ष से अधिक की अवधि की तदर्थ या अस्थायी सेवा की गणना की जा सकती है, परन्तु यह कि —

(एक) सेवा की अवधि एक वर्ष की अवधि से अधिक की नहीं थी;

(दो) पदधारी की नियुक्ति सम्यक रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गयी थी;

(तीन) पदधारी का चयन अविछिन्न रूप से तदर्थ या अस्थायी सेवा के क्रम में स्थायी अनुमोदित / स्वीकृत पद पर किया गया था;

(छ) ऐसे प्रबन्ध संस्थान की प्रकृति के संबंध में, जहां पूर्व सेवा (निजी/ स्थानीय निकाय/सरकारी संस्था में) की गयी हो व इस खण्ड के अधीन पूर्व सेवाओं के लिये उस पर विचार किया गया हो, कोई भेद नहीं किया जायेगा।

14.29— परिवीक्षा अवधि और स्थायीकरण

14.30.01— एक वर्ष की समाप्ति पर स्थायीकरण स्वतः हो जायेगा, जब तक कि प्रथम वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा एक और वर्ष के लिये अवधि विस्तारित न कर दी जाय।

14.30.02— इस परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के लिये बाध्यकारी होगा कि वह परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के 45 दिन के भीतर संतोषजनक कार्य सम्पादन के सत्यापन की सम्यक प्रक्रिया के पश्चात् पदधारी का स्थायीकरण-आदेश जारी कर दे।

14.30.03— परिवीक्षा और स्थायीकरण के संबंध में अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन समय-समय पर जारी उपबन्ध, भर्ती के केवल प्रारम्भिक चरण पर लागू हैं।

14.30 पेशे से सम्बन्धित आचार संहिता

14.30.01 1—शिक्षक और उनके उत्तरदायित्व

कोई भी व्यक्ति जो शिक्षण को अपनी आजीविका के रूप में चयन करता है, उसकी बाध्यता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप आचरण करे। शिक्षक लगातार छात्रों, वृहद् रूप से समाज की नजरों में रहता है। इसलिये, प्रत्येक शिक्षक को यह देखना चाहिये कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर न रहे। पहले से निर्धारित राष्ट्रीय आदर्शों को जिन्हें उसे छात्रों में भी अंतर्निविष्ट करना चाहिये वे उसके स्वयं के आदर्श भी होने चाहिये। इस पेशे में यह भी अपेक्षित है कि शिक्षक, स्वभाव से शांत, धैर्यशील तथा अभिव्यक्तिशील तथा मिलनसार मनोभाव वाला होना चाहिये।

शिक्षकों को चाहिये कि —

(एक) वे समाज में जिम्मेदारी पूर्ण आचरण तथा व्यवहार के पैटर्न का पालन करें जिसकी समाज उनसे आशा करता है।

(दो) अपने निजी मामलों को पेशे की गरिमा के अनुरूप संचालित करें।

(तीन) अध्ययन तथा अनुसंधान के माध्यम से व्यावसायिक विकास को सतत् बनाए रखें।

(चार) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान की दिशा में पेशे से सम्बन्धित बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेकर अपने निःसंकोच तथा खुले विचार व्यक्त करें।

(पाँच) पेशे से सम्बन्धित संगठनों का सक्रिय सदस्य बने रहना चाहिये तथा उनके माध्यम से शिक्षा तथा पेशे में सुधार के लिये प्रयत्नशील रहें।

(छः) शिक्षण, शिक्षकीय, व्यावहारिक ज्ञान, संगोष्ठी तथा अनुसंधान कार्य के रूप में कर्तव्यनिष्ठा तथा लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

(सात) विश्वविद्यालय तथा कालेज के शैक्षणिक उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्यों में सहयोग तथा सहायता प्रदान करें, जैसे दाखिले के लिये आवेदनों के मूल्यांकन में सहायता, छात्रों को सलाह और परामर्श देना साथ ही पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन सहित विश्वविद्यालय तथा कॉलेज परीक्षायें, और

(आठ) सामुदायिक सेवा सहित विस्तार, सह-पाठ्येतर तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लें।

2—शिक्षक तथा छात्र

शिक्षकों को चाहिये कि —

(एक) वह छात्रों को उनके विचार प्रकट करने के अधिकार तथा उनकी गरिमा का आदर करें।

(दो) छात्रों को उनके धर्म, जाति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान दिये बिना उनसे एक समान तथा निष्पक्षता का व्यवहार करें।

(तीन) छात्रों की परस्पर योग्यताओं तथा उनकी क्षमताओं के विद्यमान अंतर को पहचानने तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास करें।

(चार) छात्रों की उपलब्धि में सुधार करने, उनके व्यक्तित्व का विकास करने हेतु प्रोत्साहित करें तथा सामुदायिक कल्याण में योगदान दें।

(पाँच) छात्रों में वैज्ञानिक सोच का अंतर्निवेशन करें तथा शारीरिक श्रम, लोकतंत्र के आदर्शों, देशभक्ति तथा शांति के प्रति आदर का भाव पैदा करें।

(छः) छात्रों के प्रति स्नेहशील रहें तथा किसी कारण से उनमें से किसी के भी प्रति प्रतिशोध पूर्ण बर्ताव न करें।

(सात) गुणावगुण के मूल्यांकन में छात्रों की उपलब्धियों/प्राप्तियों पर ही ध्यान देना चाहिये।

(आठ) कक्षा के बाहर भी छात्रों के लिये उपलब्ध रहें तथा बिना किसी पारिश्रमिक या पुरस्कार के छात्रों की मदद करें तथा उनका मार्गदर्शन करें।

(नौ) हमारी राष्ट्रीय धरोहर तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ पैदा करने में छात्रों की मदद करें, और

(दस) छात्रों को दूसरे छात्रों, सहकर्मियों या प्रशासन के विरुद्ध भड़काने से बचें।

3–शिक्षक तथा सहकर्मी

शिक्षकों को चाहिये कि –

(एक) पेशे के अन्य सदस्यों के साथ ऐसा आचरण करें जैसा कि वे स्वयं के साथ चाहते हैं।

(दो) अन्य शिक्षकों के सम्बन्ध में सम्मानपूर्वक बात करें। पेशे की भलाई के लिये सहायता प्रदान करें।

(तीन) उच्च प्राधिकारियों के पास सहकर्मियों पर बेबुनियाद आरोप लगाने से बचें।

(चार) अपने पेशे में जाति, वंश, धर्म, नस्ल या लिंग को महत्व देने से बचें।

4–शिक्षक तथा प्राधिकारी

शिक्षकों को चाहिये कि –

(एक) वे अपने पेशे से सम्बन्धित उत्तरदायित्व को मौजूदा नियमों के अनुरूप वहन करें तथा प्रक्रियाओं का पालन करें। पेशे के हितों के लिये घातक किन्हीं ऐसे नियमों में परिवर्तन के लिये अपने संस्थागत निकायों और/अथवा व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से ऐसे कदम उठाने में ऐसी प्रक्रियाओं तथा पद्धति का पालन करें जो उनके पेशे के अनुकूल हों।

(दो) निजी ट्यूशन तथा अनुशिक्षण कक्षाओं सहित किसी अन्य रोजगार या वचनबद्धता को अपनाने से बचें जो उनके पेशे से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों के साथ हस्तक्षेप करती हो।

(तीन) विभिन्न अन्य कर्त्तव्यों को स्वीकार कर संस्थान की नीतियों को तैयार करने में सहयोग करें तथा ऐसे उत्तरदायित्वों का वहन करें जो ऐसा संस्थान चाहे।

(चार) अपने संगठनों के माध्यम से अन्य संस्थानों की नीतियां तैयार करने में सहयोग करें तथा पद स्वीकार करें।

(पाँच) संस्थान के हितों तथा पेशे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संस्थान की भलाई के लिये प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें।

(छः) संविदा की शर्तों का पालन करें।

(सात) नया पद स्वीकार करने तथा पुराना पद त्यागने से पूर्व विधिवत् रूप से नोटिस दें।

(आठ) अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा छुट्टी लेने से बचें। शैक्षणिक अनुसूची की पूर्णता के प्रति जो उनका विशिष्ट उत्तरदायित्व है, की दृष्टि से जहां तक हो सके पूर्व सूचना देकर छुट्टी लें।

5– शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक स्टाफ :

शिक्षकों को चाहिये कि–

(अ) शिक्षकों को प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में गैर-शिक्षक स्टाफ को सहकर्मी तथा सहयोग पूर्ण वातावरण के लिये बराबर का भागीदार मानना चाहिये; और

(ब) शिक्षकों को शिक्षकों तथा गैर शिक्षक स्टाफ दोनों को आच्छादित करने वाले संयुक्त स्टाफ परिषदों के कार्यकरण में मदद करनी चाहिये।

6– शिक्षक तथा अभिभावक

शिक्षकों को चाहिये कि–

वे शिक्षक निकाय तथा संगठनों के माध्यम से यह देखने का प्रयास करें कि संस्थान अभिभावकों, उनके छात्रों, से सम्पर्क बनाकर रखे तथा उनके निष्पादन की रिपोर्टों को जहां कहीं आवश्यक हो उनके अभिभावकों को भेजें तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो विचारों के आपसी अदान-प्रदान के प्रयोजनार्थ तथा संस्थान की भलाई के लिये बुलाई गई बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

7–शिक्षक तथा समाज

शिक्षकों को चाहिये कि–

(क) वे यह पहचानें कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है तथा जनसाधारण को उपलब्ध कराये जा रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराने के लिये प्रयत्नरत रहें।

(ख) समुदाय में शिक्षा में सुधार करने के लिये कार्य करें और समुदाय के हौसले तथा बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करें।

(ग) सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत रहें तथा ऐसे क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज के तथा समग्र रूप से देश की प्रगति के लिये उपयुक्त हों।

(घ) नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें तथा सामुदायिक क्रियाकलापों में भाग लें तथा सार्वजनिक हित के मामलों का उत्तरदायित्व वहन करें।

(ङ) ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने, उनमें सहायता प्रदान करने से बचें जिससे विभिन्न समुदायों, धर्मों और भाषायी समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा मिलता हो बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिये कार्य करें।

अध्याय–15

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा 16(4) तथा 49(घ) 15.01–इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 49 (घ) 15.02–कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह आगे आये हुये उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधिक ज्येष्ठता सूची तैयार करे।

धारा 49 (घ) 15.03–संकायों के संकायाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा :

परन्तु यह कि जब दो या इससे अधिक संकायाध्यक्षों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो तो आयु में ज्येष्ठ संकायाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

धारा 49 (घ) 15.04–विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा :

परन्तु यह कि जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

धारा 49 (घ) 15.05–विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा :–

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक सह-आचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी सह आचार्य को प्रत्येक सहायक आचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा;

(ख) एक ही संवर्ग में, वैयक्तिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी ;

परन्तु यह कि जहाँ सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य परिषद् द्वारा अधिमानता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी :

परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हों, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत पद पर थी।

(ग) जब (ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या किसी संस्थान में चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पंक्ति या श्रेणी के पद पर, चाहे पहली अगस्त 1981 से पूर्व या उसके पश्चात, नियुक्ति किया गया हो, तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में, उस श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई सहायक आचार्य, चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व या उसके पश्चात विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया गया हो तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा–अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

(ड) ऐसे अस्थायी पद पर अनवरत सेवा की, जिस पर कोई अध्यापक चयन समिति को निर्देश किये जाने के पश्चात नियुक्त, किया जाये, और यदि उसके पश्चात धारा 31 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन उस पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किया जाये, गणना ज्येष्ठता के लिये की जायेगी।

15.06– जहाँ एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों तो ऐसे अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायेगी :– धारा 49(घ)

(एक) आचार्यों की स्थिति में, सह–आचार्य के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा।

(दो) सह–आचार्य की स्थिति में, सहायक आचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा।

(तीन) उन आचार्यों की स्थिति में जिनकी सह–आचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो सहायक आचार्य के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।

15.07–जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और पारस्परिक ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायेगी। धारा 49(घ)

15.08– (1) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद :– धारा 49(घ)

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगी,

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और धारा 31 की उपधारा(8) के खण्ड (क) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करें तो कुलाधिपति उन मामलों में जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अर्न्तग्रस्त हो ऐसे निर्देश का अवधारणा करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता–क्रम अवधारित करेंगे।

(2) ऐसे योग्यता–क्रम की, जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या दो से अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना सम्बद्ध अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

15.09–(1) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे : धारा 19(ड) तथा 49(घ)

परन्तु यह कि उस संकाय का जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवादग्रस्त हो) सम्बन्ध हो, संकायाध्यक्ष पारस्परिक ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

(3) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किए जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बताएगी।

अध्याय– 16

भाग–एक

महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

16.01 (1) महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचार संहिता एवं परिनियम 14.30 में उल्लिखित पेशे से सम्बन्धित आचरण संहिता का ध्यान रखेगा, जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार, जैसा कि परिशिष्ट–ग में दिया गया है, का एक भाग होगा।

(2) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचार संहिता के उपबन्धों एवं परिनियम 14.30 में दिये गये आचार संहिता में से किसी का उल्लंघन परिनियम 14.04 के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायेगा।

16.02 परिशिष्ट–'ग' में वर्णित नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास सुरक्षित रखी रहेगी। इस संविदा पर लागू दर के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। स्वतः आंकन या संयोजित निष्पादन आधारित आंकन पद्धति (पी0बी0ए0एस0) प्रणाली सेवा/संविदा का भाग होगी।

16.03 महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कैलेण्डर वर्ष में धारा 34(1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए उस कलैण्डर वर्ष में अपने वेतन के कुल योग के छठे भाग या चालीस हजार रुपये, जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

16.04 **शिक्षण के दिवस**

16.04.01 (क) उपखण्ड (ख) के अधीन रहते हुए, महाविद्यालयों को कम से कम 180 कार्य दिवस को अंगीकार करना होगा अर्थात् एक सप्ताह में (06 दिवसों के) 30 सप्ताहों का वास्तविक शिक्षण होना चाहिए। शेष अवधि में से 10 सप्ताह प्रवेश तथा परीक्षा कियाकलाप तथा सह–पाठ्येत्तर, खेलकूद, कॉलेज दिवस आदि के गैर अनुदेशात्मक (परीक्षा की तैयारी सहित) दिवस को समर्पित किए जाने चाहिए। 8 सप्ताह अवकाश तथा 4 सप्ताह विभिन्न सार्वजनिक अवकाश के लिए रखे जाने चाहिए।

श्रेणीकरण	सप्ताहों की संख्या
शिक्षण एवं सीखने की प्रकिया	30 (180 दिवस)
प्रवेश/परीक्षा	03
परीक्षा की तैयारी	02
परीक्षा	05
छुट्टियाँ	08
सार्वजनिक अवकाश (तदनुसार शिक्षण दिवस को बढ़ाया एवं समायोजित किया जाये)	04
कुल	**52**

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 200 कार्य दिवस होंगे। परीक्षा और प्रवेश की अवधि अतिरिक्त होगी, जिनमें से कम से कम 40 दिनों के शिक्षण अभ्यास या कौशल विकास के लिए होंगे, जिनका समायोजन तदनुसार किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था एक सप्ताह में न्यूनतम 36 घण्टे कार्य करेगी जिसमें सभी शिक्षकों व छात्र–शिक्षकों को भौतिक रूप से संस्था में रहना अनिवार्य होगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत सलाह, मार्ग दर्शन, संवाद और विमर्श आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके :

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक संसद या राज्य विधानसभा के सत्र के कारण उपलब्ध नहीं है तो उसे देय छुट्टी पर माना जायेगा और यदि उसको कोई छुट्टी देय नहीं है तो वह अवैतनिक अवकाश पर माना जायेगा।

16.04.02 महाविद्यालयों के पास सम्पूर्ण वर्ष में 08 सप्ताह की कुल छुट्टियाँ तथा शून्य अर्जित अवकाश का भी विकल्प है सिवाय जब छुट्टियों के दौरान कार्य करना हो तो अवधि की 1/3 भाग को उनके खाते में अर्जित अवकाश के रूप में जोड़ दिया जाए।

भाग–दो

महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु अवकाश के नियम

16.05 विश्वविद्यालय के शिक्षकों की छुट्टी नियम से संबंधित 14.12 से 14.26 तक के प्रावधान, "कार्य परिषद्" एवं "कुलपति" के स्थान पर क्रमशः "प्रबन्धतंत्र" एवं "प्राचार्य" प्रतिस्थापन के साथ महाविद्यालय शिक्षकों पर भी लागू होंगे।

भाग–तीन

महाविद्यालय के शिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु

16.06 किसी सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय के किसी भी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु बासठ वर्ष होगी।

16.07 किसी भी शिक्षक को अधिवर्षिता आयु के पश्चात कोई भी सेवा विस्तार नहीं अनुमन्य होगा :

परन्तु यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून न हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा अध्यापक जिसे अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजन पर समझा जाये वह समान प्रास्थिति के किसी सरकारी कर्मचारी को अनुमन्य वेतन और अन्य लाभों का हकदार होगा।

भाग–चार

अन्य उपबन्ध

16.08 परिनियम के 14.05 के खण्ड (2) से (4) तक के उपबन्ध परिनियम 14.29 से 14.31 के उपबन्ध महाविद्यालय के शिक्षकों पर निम्न परिवर्तनों के स्वतः लागू होंगे, अर्थात् :–

(क) परिनियम 14.05 के खण्ड 2 से 4 में, शब्द "कुलपति" व "कार्य परिषद" के स्थान पर क्रमशः शब्द "प्राचार्य" एवं "प्रबन्धतंत्र" रख दिये जायेंगे।

(ख) परिनियम 14.29 में शब्द "कुलपति" तथा "विभागाध्यक्ष" के स्थान पर क्रमशः शब्द "प्राचार्य" तथा "ज्येष्ठतम विभाग सह आचार्य" रख दिये जायेंगे।

अध्याय 17

छात्र निवास

17.01– विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्र निवास वैसे ही होंगे, जैसे अध्यादेशों में दिये गये हैं। धारा 47(2)

अध्याय 18

अधिभार

परिभाषायें

18.01– जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिनियमावली में –

(1) "परीक्षक" का तात्पर्य परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से है।

(2) "सरकार" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(3) "विश्वविद्यालय के अधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ग) से (ज) में उल्लिखित किसी अधिकारी और परिनियम 2.21 एवं परिनियम 2.23 के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

18.02–(1) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरुपयोग, जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिये कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिये या ऐसी धनराशि के लिये जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाये, और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अध्यपेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु यह कि कुलपति से भिन्न किसी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी :– (1) परीक्षक द्वारा या उसके द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त संबंधित पत्रजात और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रजात या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक किसी युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे और दिखाये जायेंगे।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है :–

(क) जहां व्यय इन परिनियमों के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो;

(ख) जहां हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च निविदा स्वीकार करने से हुयी हो;

(ग) जहां विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इस परिनियम के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किया हो;

(घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुयी हो;

(ङ) जहां विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुयी हो।

(3) उस अधिकारी को, जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लिखित अध्यपेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक सुविधाएं देगा। परीक्षक सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि परीक्षक का यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण, अपने नियंत्रण से परे कारणों से करने में असमर्थ रहा है।

स्पष्टीकरण : अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति किया जाना अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

18.03–विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात परीक्षक, अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है :

परन्तु यह कि यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अपचार के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति दुर्व्ययन या दुरुपयोग की स्थिति में, प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्त और पृथकतः उत्तरदायी होगा :

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी क्षति, दुर्व्ययन या दुरुपयोग होने से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात या उसके ऐसा अधिकार न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात इसमें जो पश्चातवर्ती हो, किसी क्षति दुर्व्ययन या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

18.04–परीक्षक द्वारा पारित अधिभार के किसी आदेश से व्यथित कोई अधिकारी, मण्डलायुक्त जिसकी परिधि में विश्वविद्यालय स्थित है, को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त, परीक्षक द्वारा पारित आदेश को पुष्ट, विखंडित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

18.05– (1) अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु यह कि जहां परीक्षक द्वारा पारित अधिभार के आदेश के विरुद्ध परिनियम 18.04 के अधीन कोई अपील की गयी हो वहां अपील करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिये समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा स्थगित की जा सकती है जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाये।

(2) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

18.06–जहां अधिभार के किसी आदेश पर पृच्छा करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में परीक्षक या उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवादी हो, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त लागतों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब के करें।

अध्याय 19

प्रकीर्ण

19.01–विश्वविद्यालय, अध्यादेश में दिये गये उपबन्धों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां (यात्रा अध्येतावृत्तियां को सम्मिलित करते हुये) विद्यावृत्तियां, पदक और पारितोषिक को संस्थित तथा प्रदान कर सकता है। धारा 7 (12) और 49(त)

19.02–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का समस्त निर्वाचन, परिशिष्ट 'ग' में दी गयी रीति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार किया जायेगा। धारा 49 और 64

19.03–विश्वविद्यालय, धारा 7 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी व्यक्ति को, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है : धारा 7

परन्तु यह कि –

(क) ऐसा व्यक्ति अध्यादेशों में दी गयी अपेक्षा को पूर्ण करता हो; और

(ख) ऐसी परीक्षा ऐसे विषय या पाठ्यक्रम से सम्बन्धित नहीं है जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा पाठ्यचर्या का एक भाग है।

धारा 7 19.04–परिनियम 19.03 के उपबन्ध, तत्समान् पाठ्यक्रमों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

धारा 42 19.05–विश्वविद्यालय के इस परिनियमावली या अध्यादेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी :–

(एक) किसी शैक्षणिक वर्ष में 31 अगस्त के पश्चात कोई प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त परीक्षायें दिनांक 30 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जायेंगी, और

(तीन) परिणाम दिनांक 15 जून तक घोषित कर दिये जायेंगे।

19.06– किसी अभ्यर्थी को अपने परिणाम का सुधार करने की दृष्टि से, विश्वविद्यालय की आगामी नियमित परीक्षा में स्नातकपूर्व परीक्षा के किसी भाग में या स्नातकोत्तर परीक्षा के किसी भाग में, एक विषय में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

अध्याय–20

सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की योग्यताएं एवं सेवा की शर्तें

20.01 भेषजज्ञ, नैत्यक लिपिक या अन्य किसी भी पद पर नियुक्ति चाहे उसका वेतनमान नैत्यक लिपिक के वेतनमानों से अधिक हो, रिक्ति का विज्ञापन समाचार पत्र में देने के पश्चात, चयन समिति की सिफारिश पर की जायेगी।

अध्याय–21

21.01 **शिक्षण पदों का सृजन एवं भरा जाना**

21.01.01 जहाँ तक संभव हो अधिनियम की धारा 21(3) में वर्णित प्रावधान के अनुसार पिरामिड क्रम में शैक्षिक पद सृजित किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ– प्रत्येक विभाग के लिए आचार्य के एक पद के साथ सह आचार्य के दो पद तथा सहायक आचार्य के चार पद होंगे।

21.01.02 विश्वविद्यालय में सभी स्वीकृत/अनुमोदित पदों को तत्काल आधार पर भरा जाएगा।

21.02 **कार्य–भार**

21.02.01 पूर्ण नियोजन के मामले में एक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षक पर कार्य भार 30/33 कार्य सप्ताह (180 शिक्षण दिवसों/200 शिक्षण दिवसों) के एक सप्ताह में 40 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। शिक्षक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह रोजाना विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कम से कम (60 मिनट के) 5 घंटे के लिए उपलब्ध रहे जिसके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आवश्यक स्थान तथा अवसंरचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रत्यक्ष शिक्षण–सीखने की प्रक्रिया निम्नवत् होनी चाहिए–

सहायक आचार्य	60 मिनट के 16 घंटे
सह–आचार्य तथा आचार्य	60 मिनट के 14 घंटे

21.02.02 तथापि, ऐसे आचार्यों को, कार्य भार में 02 घण्टे की छूट दी जा सकती है, जो विस्तार क्रियाकलापों तथा प्रशासन में सक्रिय रूप से जुड़े हों। शिक्षक के अनुसंधान कियाकलापों के लिए प्रति सप्ताह 06 घण्टे की न्यूनतम अवधि आवंटित की जा सकती है।

21.03 इस परिनियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ऐसे अन्य उपबन्ध जो इस परिनियमावली द्वारा आच्छादित नहीं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टॉफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर, आयोग द्वारा नियमन–2010 के सुसंगत उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

अध्याय 22

विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी

22.01 विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तें, छुट्टी और ज्येष्ठता एवं परिलब्धियाँ आदि से सम्बन्धित अन्य नियम उसी प्रकार होंगे जैसा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जाएं।

आज्ञा से,
अनिल गर्ग,
सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग।

परिशिष्ट– 'क'

(परिनियम 14.01, 16.01 तथा 16.02 देखिये)

विश्वविद्यालय के अध्यापन–वर्ग के सदस्यों के साथ करार पत्र

यह करार आज दिनांक ....20 को श्री/श्रीमती/कु0 प्रथम पक्ष तथा .... विश्वविद्यालय (जिसे आगे "विश्वविद्यालय" कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया।

एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :–

1– यह कि विश्वविद्यालय, एतद्द्वारा, श्री/श्रीमती/कु0 .... को दिनांक............ से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता/करती है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है, जिनकी उससे अपेक्षा की जाये, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्धन और संरक्षण शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनऔपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखने और किसी पाठ्यचर्या या आवासिक कार्यकलाप के संबंध में छात्र कल्याण की प्रगति सम्मिलित है और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यातिरिक्त कर्तव्यों का पालन करता है जो उसे सौंपे जायें तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता है, जिनके अधीन उसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्सम रखा जाये और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचार संहिता, का जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाये, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा :

परन्तु यह कि अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद स्वविवेकानुसार परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2– यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा–निवृत्त होगा।

3– अध्यापक के पद का जिसपर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त किया गया है, वेतनमान......... होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उस दिनांक से जब वह अपने उक्त कर्तव्यों का प्रभार ग्रहण करता/करती है, उपर्युक्त वेतनमान .... में रूपये .... प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जायेगा और वह जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि रोका नहीं जाता है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु यह कि जहां समयमान में कोई दक्षता रोक विहित है, वहां दक्षता रोक के ऊपर अगली वेतनवृद्धि प्रथम पक्ष के पक्षकार को वेतनवृद्धि रोकने के लिए सशक्त प्रधिकारी की विनिर्दिष्ट स्वीकृति के बिना नहीं दी जायेगी।

4– प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम यह इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन हो, विधि पूर्ण निदेशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्यान्वित करेगा।

5– यह कि प्रथम पक्षकार एतद्द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों का आचरण संहिता का जैसा कि समय–समय पर उसे यथासंशोधित किया जाये, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

6– यह कि किसी कारण से इस करार की समाप्ति पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, सावित्र, अभिलेख और अन्य वस्तुएं जो उसके कब्जे में हो, विश्वविद्यालय को दे देगा।

7– समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा उन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा। मानो वे इसमें प्रत्युत्पादित किये गये हों और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगायी।

....	....
अध्यापक का हस्ताक्षर	विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले
साक्षी	कुलसचिव का हस्ताक्षर
1......................	
2......................	

परिशिष्ट– 'ख'

(परिनियम 16.01, 16.02 देखिये)

अध्यापकों के लिए आचार संहिता

यतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के संबंध में जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता संबंधी नेतृत्व की अपनी भूमिका निर्वाह, समर्पण, नैतिक सत्यनिष्ठा, मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना के माध्यम से ओत प्रोत रहकर उपदेश की उपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है :–

अतः अब उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनायी जाती है कि इसका पालन व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरण में वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाये :–

1– प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा।

2– कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

3– कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध या अपने विश्वविद्यालय के विरुद्ध उत्तेजित नहीं करेगा।

4– कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर किसी शिष्यों में भेदभाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

5– कोई भी अध्यापक यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चियों को कार्यान्वित करने से इंकार नहीं करेगा।

6– कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलाप- से संबंधित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके संबंध में प्राधिकृत न हो।

7– कोई भी अध्यापक अन्य कोई अन्य रोजगार, अंशकालिक गृहशिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षायें नहीं चलायेगा।

8– कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।

9– शैक्षिक कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि कोई भी अध्यापक जहां तक संभव हो पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश लेगा।

10–निरन्तर अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।

11–यथास्थिति, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के शैक्षिक उत्तरदायित्व यथा प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेगा।

12–लोकतंत्र, देशभक्ति और शांति के आदर्शों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करेगा।

परिशिष्ट– 'ग'

(परिनियम 16.02 देखिये)

सहयुक्त महाविद्यालयों में (प्राचार्य से भिन्न) अध्यापक के साथ करार का पत्र

यह करार आज दिनांक .... को ....प्रथम पक्ष तथा प्राचार्य/सचिव के माध्यम से .... महाविद्यालय .... के प्रबन्धतंत्र द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

अतः महाविद्यालय ने प्रथम पक्ष के पक्षकार को, आगे दी गयी शर्तों और निबन्धनों पर महाविद्यालय में कार्य करने के लिए .... के रूप में नियुक्त किया है। अतः अब यह करार इस बात का साक्षी है कि प्रथम पक्ष के पक्षकार और महाविद्यालय, एतद्द्वारा संविदा करते हैं और निम्नलिखित के लिए सहमत हैं :–

1–यह कि नियुक्त दिनांक .... से प्रारम्भ होगी और एतद्द्वारा व्यवस्थित रीति से समाप्त की जा सकेगी।

2–यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार प्रथमतः एक वर्ष की परवीक्षा अवधि पर नियोजित है और उसे .... रुपये का मासिक वेतन दिया जायेगा। परवीक्षा अवधि उतनी और अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है, जितनी कि द्वितीय पक्ष का पक्षकार उचित समझे, किन्तु परवीक्षा की कुल अवधि किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक न होगी।

3–यह कि परवीक्षा अवधि के पश्चात स्थायी किये जाने पर महाविद्यालय प्रथम पक्ष के पक्षकार को उसकी सेवाओं के लिए .... रूपये (केवल.........रूपये) प्रतिमास की दर से देगा जिसे .... रूपये की वार्षिक वेतन वृद्धियों से बढ़ाकर .... रूपये प्रतिमास कर दिया जायेगा। वेतन–मान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय–समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाये।

4–यह कि उक्त मासिक वेतन, जिस माह में वह अर्जित किया जाये, उसके मास के प्रथम दिनांक को देय है और प्रबन्धतंत्र प्रथम मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनांक तक अध्यापक को उसका भुगतान कर देगा।

5–यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार, विश्वविद्यालय या प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य को कोई अभ्यावेदन नहीं देगा सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, जो उसे उच्च प्राधिकारियों के पास भेज देगा।

6–यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार, साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त, ऐसे कर्तव्यों को पालन करेगा, जो उसे प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन या कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सौंपे जायें।

7–यह कि अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय–समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

आज दिनांक ....20.......... को ....द्वारा प्रबन्धतंत्र की ओर से हस्ताक्षरित।

.... की उपस्थिति में अध्यापक द्वारा

1–

2–

3–

2–सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ करार का प्रमाण–पत्र

यह करार आज दिनांक .... का .... (जिसे एतत्पश्चात् प्राचार्य कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा समापति के माध्यम से .... महाविद्यालय .... (जिसे एतत्पश्चात् प्राचार्य कहा गया है) द्वितीय पक्ष, के मध्य किया गया।

यतः प्रबन्धतंत्र ने प्रथम पक्ष के पक्षकार को एतत्पश्चात् दी गयी शर्तों पर महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। अब यह करार इस बात का साक्षी है कि प्रथम पक्ष के पक्षकार और प्रबन्धतंत्र एतद्द्वारा निम्नलिखित संविदा करते हैं और उसके लिए सहमत हैं :–

1– यह कि करार दिनांक ....20........ से प्रारम्भ होगा और एतत्पश्चात व्यवस्थित रीति से समाप्त किया जा सकेगा।

2– यह कि प्राचार्य, प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियोजित है और उसे ....रूपये का मासिक वेतन दिया जायेगा। परिवीक्षा अवधि, प्रबन्धतंत्र के स्वविवेक से और एक वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकती है।

3– यह कि परिवीक्षा अवधि के पश्चात स्थायी किये जाने पर प्रबन्धतंत्र प्राचार्य को ....रूपये के वेतन मान में केवल........ रुपये (..........रूपये) प्रतिमास की दर से देगा। वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाये।

4– यह कि उक्त मासिक वेतन, जिस मास में वह अर्जित किया जाये, उसके अगले मास के प्रथम दिनांक को देय है, और प्रबन्धतंत्र प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनांक तक प्राचार्य को उसका भुगतान कर देगा।

5– प्राचार्य ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा जो किसी सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्बन्धित हों तथा ऐसे समस्त कर्तव्यों के सम्यक्रूप से पालन के लिये उत्तरदायी होगा। प्राचार्य उक्त महाविद्यालय के आन्तरिक प्रबन्ध तथा अनुशासन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले भी हैं जैसे कि सम्बन्धित विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक के परामर्श से पाठ्य पुस्तकों का चयन, महाविद्यालय की अध्यापन सारणी की व्यवस्था, महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के समस्त सदस्यों को कार्य विवरण, वार्डनों, प्राक्टरों, खेलकूद अधीक्षकों आदि की नियुक्तियां, कर्मचारी वर्ग को छुट्टी स्वीकृत करना, निम्न श्रेणी के कर्मचारिवर्ग तथा चपरासी, दफ्तरी, माली, तकनीशियन आदि की नियुक्ति, पदोन्नति, उन पर नियंत्रण तथा उन्हें हटाना प्रबन्धतंत्र द्वारा स्वीकृत संख्या के भीतर छात्रों को निःशुल्कता और अर्द्ध निःशुल्कता स्वीकृत करना, वार्डनों के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रावास अथवा छात्रावासों का नियंत्रण करना, छात्रों को प्रवेश करना, उन पर अनुशासन करना और उन्हें दण्ड देना तथा खेल–कूद और अन्य कार्यक्रमों को संगठित करना। वह छात्रों की समस्त निधियों तथा खेल–कूद निधि, पत्रिका निधि, संघ (यूनियन) निधि, वाचनालय निधि, परीक्षा निधि, आदि का प्रबन्ध अपने द्वारा नियुक्त समिति की सहायता से तथा समय–समय पर विश्वविद्यालयों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तथा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह लेखाकार द्वारा जो प्रबन्धतंत्र के सदस्यों में से न होगा, उक्त लेखों की संपरीक्षा तथा संवीक्षा के अधीन रहते हुए करेगा। लेखाकार की फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर वैध आदेश होगी। उसको इस प्रयोजन के लिये, सभी आवश्यक शक्तियां होंगी जिसमें आपत्तिकाल में अध्यापकों या कर्मचारियों सहित कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को, प्रबन्धतंत्र को सूचित किये जाने और उसके द्वारा विनिश्चय करने तक निलम्बित करने की शक्ति भी सम्मिलित है वह अपने निजी उत्तरदायित्व के क्षेत्र में महाविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अथवा सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन करेगा। वित्तीय तथा अन्य मामलों में जिसके लिये केवल वही उत्तरदायी नहीं है, प्राचार्य, प्रबन्धतंत्र के निदेशों का जैसा उसे सचिव के माध्यम से लिखित रूप से जारी किया जाये पालन करेगा। प्रबन्धतंत्र या सचिव द्वारा कर्मचारियों के सदस्यों को समस्त अनुदेश प्राचार्य के माध्यम से जारी किये जायेंगे और कर्मचारी वर्ग का कोई सदस्य सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य से सीधे भेंट नहीं करेगा।

प्राचार्य को लिपिकीय तथा प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में नियंत्रण तथा अनुशासन की समस्त शक्तियां होंगी जिसके अन्तर्गत वेतन वृद्धियां रोकने की भी शक्ति है। प्राचार्य के कार्यकाल में समस्त नियुक्तियां उसकी सहमति से की जायेगी।

6– यह कि प्राचार्य प्रबन्धतंत्र या प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति का पदेन सदस्य होगा और उसे मत देने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसी समिति का सदस्य न होगा जो उसी आचरण की जांच करने के लिए नियुक्त की जाये।

7– प्रथम पक्ष के पक्षकार के जन्म का दिनांक..............है जिसके प्रमाण में उसे हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

8– अन्य समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय–समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे। प्रबन्धतंत्र की ओर से ....द्वारा आज दिनांक..............–20 को हस्ताक्षरित।

निम्नलिखित की उपस्थिति में प्राचार्य द्वारा–

साक्षी (1) साक्षी (2)

पता.............................. पता..............................